MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Lalu Prasadji.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 2006-07

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI LALU PRASAD): Sir, I lay on the Table a Statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (Railways) for the year 2006-07.

GOVERNMENT BILL

The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2006

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to amend the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, first of all, I would like to express my gratitude to all the hon. Members who have taken this time off to pay attention to what I consider one of the most important steps that we are taking collectively as people of this nation. For far too long, we have never looked at children in their own identities and as independent entities — we have always parcelled them away with women, written off their futures — even as we don't taken into consideration their many needs and their requirement for us to make amendments in this Act. I am grateful to the Lok Sabha Members who were kind enough for granting approval to the proposed Amendment Bill. Sir, by the year 2020, if you look at India and look at the global statistics on a macro level, what was always considered a liability of this nation, the population, will be truly the real avatar of human resource. By 2020, India will play host to the largest youngest work force in the world. India will play host and home to all these children. Now, when a scenario like that is coming up, we must pay attention to laying the foundation for a fantastic nation that will remain as the first amongst equals.

The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act is a comprehensive legislation. This has taken into consideration the severe lacunae which were there in the past. This is to provide justice and opportunities to the children of India for their growth and development. Of course, this Act is based on the provisions of the Indian Constitution and the four broad rights of the U.N. Convention on the Rights of the Child including right to survival, protection, development and participation. Perhaps, one of the biggest pioneers in this country after Jawahar Lal Nehru who is affectionately referred to as *Chacha* Nehru even today, was late Shri Rajiv Gandhiji who looked at the rights of the children of this country and empowered the 18-year old to cast their votes so that they did not remain merely dreamers of this democracy, but participated in the rights of this country, the right that was bestowed on them by the Constitution, and they became the architects of making those dreams a reality.

The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act came into force with effect from 1.4.2001. One of the important amendments to the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2005 is to include the defination of 'adoption'. It is so ironic that other populist countries like ours have managed to have almost 20,000 adoptions of their children across the globe as against a pitiful 3,000 and odd from our country.

[THE VICE CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) in the Chair]

There was no clarity as to what adoption meant and only the Hindu law of adotpion has been utilised in our country, thereby creating many hurdles. I am happy to tell you that the Juvenile Justice Act will give a definition. The difference is, we have introduced amendment in section 2 (aa) 'Adoption' which means the process through which the adopted child is permanently separated from his or her biological parents and becomes the legitimate child of his or her adopted parents with all the rights, privileges and responsibilities that are attached to this relationship. Now, that is a huge step in the right direction. Single parents, parents with natural children of their own or anybody who wants to adopt a child will be facilitated under this Juvenile Justice (Amendment) Bill, and I hope that most of us will be able to find the place in our hearts to take these children home. if you look at thousands of parents acorss the

country, people who want to be parents, we find them going through painful procedures. I want to tell and reach out, through this forum, all those people that it does not matter whether you give birth to a child or you adopt a child. In fact, rewards are many. When we have the generosity to adopt a child and take that child home, we are not doing the child a favour, we enrich our own lives, we expand our own hearts and minds, provide them home and shelter, and more importantly a lot of love.

Now, for the definition of child in need of care and protection, we must look at children in two broad arms—one is the child who needs care and protection, and the other is, the children who are in conflict with law. That's why we have the juvenile delinquency and vegrancy. Now, in the Act, the umbrella of care, need and protection never included a child who was found begging on the road. They had no status; they had no identity; either they were street children or they were working children. So, by amending the Act, we have brought these children under the 'Child Beggars' in the definition of children who are in need of care and protection. In order to protect children from being put in police lock-ups or in jails, we have added a proviso under section 10(1) that in no case shall a juvenile in conflict with law be placed in a police lock-up or lodged in a jail. I do sincerely believe that it is an extremely insensitive step. Children, sometimes unwittingly, become pawn of a conniving adult and they are then punished. So, we thought that they need to be handled with a lot more sensitivity and help them to rehabilitate themselves. We said, no police station can ever arrest a child and take him to a police lock-up, putting handcuffs on them or even allow their photographs to be shown in any media report so that we can protect the identity of the child and give him an atmosphere that is conducive to rehabilitation. The provisions for enquiry have to be completed within four months. It lacks proper implementation as inquiries are pending before the Boards. Now, all of us know that we have these wonderful commissions of enquiries and boards which are constituted. None of them is time-bound. As a result of which, these cases keep pending and in these cases where the children are involved, justice denied timely would mean that they pay for it with their life because they become hardened and they look at life criminalised. So, we have proposed to insert section 14 (2) stating that the Chief Judicial Magistrate or the

Chief Metropolitan Magistrate will review the pendency of the cases of the Board every six months so that we have a bi-annual review of these and we can them address as to why they are getting delayed. We will be able to get a database in place. We want to increae the frequency and we will direct the Board to increase the frequency of its sittings or may cause constitution of additional boards, if we find the need to be so. Now, under the existing provisions of the Act, the juveniles in younger age were getting relatively longer periods of detention in special homes than the older juveniles which, I think, is extremely detrimental. In order to remove this anomaly, we have proposed to amend section 15 (1) (g) so that the Juvenile Justice Board can make an order, directing the juvenile to be sent to a special home instead of a lock-up or a jail for a maximum period of three years. I do believe that in the period of three years, whatever change we can bring about will be completed and after three years, they should not be kept there. Otherwise, other extraneous circumstances come in and affect the rehabilitation of the child.

We have also proposed to amend section 16(1) so that no juvenile in conflict with law can be placed under imprisonment for any term. So, no teenager will be locked up and we will not have a term which may extend to imprisonment for life. Also, we are going to amend section 21 so that the contravention of provisions dealing with prohibition of publication of name of a child or juvenile shall be punishable. Earlier, we had a fine of only Rs. 1,000. We have made this more stringent with Rs. 25,000 if media reports a child's name, face, address and identity to the public. This will go a long way in ensuring that media remains sensitive to these children and does not convert a child making an error in life into a media circus, and there is no trial held by media. So, media will be fined Rs. 25,000 and it has already been effectively put in place. We propose to amend sections 4 and 29 so that the State Governments can constitute Juvenile Justice Boards and Child Welfare Committees for each district within one year of the amendment Act coming into force. Sections 14(2) and 33 (3) are also proposed to amend so that the Chief Judicial Magistrate or the Chief Metropolitan Magistrate or the State Governments may review pendency of cases before the Child Welfare Committee so that we can have a speedy disposition and completion of the enquiry process. Section 34(3) is being amended to

ensure that all institutions which are run by the State Governments/ voluntary organisations for children in need of care and protection shall be registered under this Act within a period of six months from the date of commencement of the Amendment Act, 2006. We have also said that there is a proposal to amend section 41(4) so that the State Government shall recognise one or more of their institutions or voluntary organisations in each district as specialised adoption agencies. And I think, it is unfair that the parents who are looking for children and the assumption that only the urban rich will adopt children is a fallacy— have to come all the way to urban child care centres or to cities for adoption. My dream, Sir, is that for these children, we will have adoption agencies available at every district level, and we are hoping that we should be able to put up a cradle in each district, where girl children are not going to be killed, but given a way to us, we can look after them and do their welfare. Otherwise, there are serious sex ratio differences which are affecting our country in more ways than one.

Children's homes and the institutions run by the State Governments or voluntary organizations for children who are orphans, abandoned or surrendered, shall ensure that these children are declared free for adoption by the Child Welfare Committee, and all such cases shall be referred to the adoption agency in that district for placement of such children in adoption in accordance with the guildelines. So this would mean a faster, speedier facilitation of adoption irrespecitve of whichever caste and creed any adopting parents belong to and irrespective of their marital status, whether they are single or married or separated or whether they have children of their own, of one gender or otherwise.

Sir, it is proposed to insert section 62(A) so that every State Government shall constitute a Child Protection Unit for the State, and such Units for every district, consisting of such officers and other employees as may be appointed by that Government to take up matters relating to children/juveniles with a view to ensuring the implementation of this Act. Quite often, even police personnel are unaware of the amendments and reviews that have been made to this Act. How we treat our children when they come in conflict with the law plays a crucial role into what kind of rehabilitation and adults we can make them.

This amendment would help me and the State Governments in ensuring effective implementation of the provisions of the Juvenile Justice

(Care and Protection of Children) Act, 2000 and ensure provisions for care, protection and treatment by catering to their development needs through a child-friendly approach, which is main motive and the definition of this Act. so that we can facilitate our children to grow into responsible adults.

It is unfortunate, Sir, that most of the time, because of our population norms, our children are made to beg on the streets. Most of you are witness to that. Most of us feel uncomfortable when we see children begging on the streets and traffic light corners. And you have seen news, horrific news, about how beggary has become an organised crime today. It is not something which needs compassion or pity when we, who have given into beggary, are actually empowering the criminals who kidnap children, who main and mutilate them, so that these children remain as bonded labourers or slaves—we do not use these words anymore—and these children become dependent on them. Then, they become stooges in the crime. These children get convicted more often than not. Most of you have seen the news like this, who have experienced stories. In your own constituencies, I am sure, you will be coming forward to help us, and support this Bill with its amendments so that it becomes easier for us to implement them across the country.

You can imagine the horror stories that surround children of beggars who are forced into begging. They are made to do hazardous jobs. They are used as drug runners. They are used as couriers by terrorists and naxalite outfits. These children are deprived of their right to happiness. More important, these children do not know what the childhood means. They have been robbed of their childhood. These children are forced into child sex acts. It is a matter of national shame that we have foreigners coming to our country only to sexually exploit our children. Once a child is sexually abused, he never knows again what childhood is.

These children have no right or entitlement to any decent human norms. They are made to earn by able-bodies parents. A lot of people asked me, "You have said that children below 14 cannot be employed any more. What happens to them?" Why should that question be asked? These children should be going to school. They should be playing, laughing and sharing with their peer groups. We have free and

compulsory education enshrined in our Constitution. Why is it that we do not assume that naturally every child will go to school and learn, that they will have the empowerment and enlightenment that they deserve and that they can enjoy their childhood instead of the able-bodied parents maiming them and making them work? I think that with this amendment to the Juvenile Justice Act we will be able to provide such abilities to these children and it will make adoption easier. Under the Adoption Act we also grant guardianship and fosterhood, something which we have not looked into before. I appeal to those who don't want to adopt a child and take him home—I appreciate your limitations to think of taking a child in foster care. You will pay any contribute for their education and health. We will look after them and send you a report card every month or two months on the child that you are looking after. Remember, this kind of a *seva* is an opportunity for us. We all go to places of worship and go to God for no objection certificates for what we do. I think the best gift that you can give to some other child is the gift that your mother gave you, that is the gift of life. Give a child the right to life, the right to have a comfortable life. I solicit the support of the entire House for this Bill. Thank you.

The question was proposed.

श्रीमती माया सिंह (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, आज सदन में Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2006 पर चर्चा हो रही है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। यहां किशोर न्याय अधिनियम, 2000 का संशोधन करने के लिए संशोधन विधेयक, 2006 पर चर्चा हो रही है।

उपसभाध्यक्ष जी, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है, गलत व्यवहार होता है, उसके कारण बच्चे घर से भाग जाते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं। यह आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। इसमें बहुत वृद्धि हुई है। इस तरीके की घटनाएं पहले भी होती थीं, लेकिन आजकल यह बहुत ज्यादा हो रहा है। हर साल बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, पर ये सब रस्मी साबित हो रही हैं। अगर सच में हम उनके बारे में सोचना चाहते हैं, उनकी जिन्दगी संवारना चाहते हैं, तो हमें उनके बारे में गम्भीरता से सोचना होगा कि उनके खेलने-कूदने की जो उम्र है, जिसमें बच्चें बिंदास होकर, किसी चीज की चिन्ता न करते हुए खेलते-कूदते हैं, उस उम्र में ये बच्चे अपराध की दुनिया में क्यों कदम रख रहे हैं, इस तरीके के बच्चे क्यों गैरकानूनी काम करने के लिए विवश हो रहे हैं।

2.00 P.M.

बाल अपराध भारतीय समाज की एक ऐसी हकीकत है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश में प्रतिवर्ष 36 हजार के करीब नाबालिग विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार किए जाते हैं। उपसभाध्यक्ष जी, कोई इंसान या कोई बच्चा जन्मजात अपराधी नहीं होता है। जो विषम पारिवारिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं, ये उसको बचपन में अपराध की ओर धकेलने के लिए विवश करती हैं। उसको मजबूर करते हैं। हमारे देश के अंदर तीन करोड़ बच्चे या तो भूख से बिलबिलाते हुए जूठी पत्तले चाट रहे हैं। या अपना पेट भरने के लिए कड़कड़ाती ठंड में, जैसा हम सब देखते हैं कि ढाबों में चाय पिलाते हुए, कप-प्याले धोते हुए नजर आ जाते हैं। कहीं-कहीं तो बच्चों को पढ़ाने के नाम पर, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। जो बच्चियां हैं दो वर्ष से लेकर 12 वर्ष, 15 वर्ष तक की, वे बलात्कार की शिकार हो रही हैं। इनके बचपन को कौन लौटाएगा? जो बचपन आने वाले कल को राष्ट्रपति बन सकता है, जो बचपन प्रधानमंत्री बन सकता है, जो बचपन अच्छी मां बन सकता है, जो बचपन अच्छा और उत्तम किसान बन सकता है, जो बचपन अच्छा उद्योगपति बन सकता है, वह आज गलत रास्ते पर जा रहा है। किसी भी देश का भविष्य देश में बच्चों के अंदर छुपा होता है। आज आप देखें, बच्चों में यौन-विकृतियां आ गई हैं और इसका मूल कारण टेलीविजन पर परोसी जा रही अश्लीलता है। जिस तरीके से टेलीविजन पर अश्लीलता दिखाई जाती है, जिस तरह से अपराध कैसे किया जाए वह टेलीविजन पर दिखाया जाता है, उसका बच्चों पर असर पड़ता है। अभी हाल में दिल्ली में जो घटना हुई है, जिसमें एक परिवार के सात लोगों को मार दिया गया, वह सब एक बच्चे ने टेलीविजन पर फिल्म-सीरियल देखकर किया था।

श्री दत्ता मेघे (महाराष्ट्र): सीरियल नहीं, ''किलर'' पिक्चर देख कर।

श्रीमती माया सिंह: जी, ''किलर'' पिक्चर देख कर के किया। उपसभाध्यक्ष जी, हमारे यहां यह जो सांस्कृतिक प्रदूषण इस तरीके से बढ़ रहा है इस पर रोक लगाना बहुत जरूरी हो गया है। आज गरीब बच्चों के अलावा भी, अच्छे और खाते-पीते परिवार के बच्चे भी, हाई सोसायटी के बच्चे भी छोटे-मोटे अपराध कर रहे हैं, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है।

महोदय, इन बच्चों को सालों-साल न्याय नहीं मिल पाता है। न्याय की राह देखते हुए इन बच्चों को स्पेशल होम्स में रखा जाता है। इन स्पेशल होम्स की परिस्थितियां क्या हैं? इन स्पेशल होम्स में बच्चे नारकीय जीवन बिता रहे हैं, मैं सभी स्पेशल होम्स को दोष नहीं दे रही हूं, लेकिन यह देखने की बात है कि हमारे देश में जितने प्रदेश हैं, उनमें से कितने प्रदेशों में स्पेशल होम चल रहे हैं और ये कैसे चल रहे हैं। कई बार तो स्पेशल होम्स से बच्चे बाहर भाग जाते हैं, क्योंकि वहां उनके रहने की, भोजन की व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती हैं। आप देखेंगे कि अनेक प्रदेशों में तो स्पेशल होम्स ही नहीं हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कि जिन प्रदेशों में ये स्पेशल

होम्स नहीं हैं, वहां ये बनने चाहिएं और मैं मंत्री महोदया से यह भी कहना चाहूंगी कि अभी जहां ये स्पेशल होम्स नहीं हैं, वहां ऐसे बच्चों को कहां रखा जाए, इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। कभी-कभी हम देखते हैं, जब महानगरों की सड़कों पर गाड़ियों से चलते हैं, तो गाड़ियों के बीच में चौराहों पर बच्चे-बच्चियों को भीख मांगते हुए और उससे हमारा मन बहुत व्यथित हो जाता है। यह दृश्य हम रोज देखते हैं, हमारी गाड़ी के शीशे बंद रहते हैं, ऐसे बच्चे शीशे को आकर ठक-ठक करते हैं और गिड़गिड़ाते हैं कि हमें भूख लगी है, हमें कुछ दे दो। जो लोग बच्चों से भीख मंगवाते हैं, उनके पूरे-पूरे गैंग हैं, पूरे-पूरे ग्रुप हैं। ये लोग बच्चों को पकड़ कर रखते हैं, उन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके हाथ-पैर काट दिए जाते हैं ताकि उनके द्वारा ज्यादा से ज्यादा भीख मिल सके। आप कारखानों में चले जाइए, वहां बाल श्रमिकों की लाइन लगी है, कोयले की खदानों में बाल श्रमिक बहुत बड़ी संख्या में काम करते हैं और जहां बच्चे काम करते हैं, वहां जब इंस्पेक्टर चेक करने के लिए जाता है, तो बच्चों को छुपा दिया जाता है या उनको भगा दिया जाता है। जो बच्चे बुनकर के यहां, चूड़ी कारखानों में काम कर रहे हैं, वहां वे किस तरीके की जिंदगी बिता रहे हैं, वहां उनका कैसा नारकीय जीवन है, इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है।

उपसभाध्यक्ष जी, इसी तरीके से मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारे यहां जो पुलिस थाने हैं, हम उन पुलिस थानों में जाकर अगर पूछें, तो पता चलता है कि 90 प्रतिशत पुलिस थानों में अफसरों को ''जुवेनाइल जस्टिस'' शब्द के बारे में ही पता नहीं है। प्रोटेक्शन आफिसर और स्पेशल आफिसर को भी इस शब्द के बारे में पता नहीं है। आज हमारे देश के अंदर यह तो स्थिति है। जो अपराध करने वाले बच्चे हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, उनके साथ किस तरीके से हम डील करें, इसके लिए एक मनोवैज्ञानिक जैसे व्यक्ति की जरूरत है क्योंकि बच्चों को एकदम से हम अपराधी नहीं कह सकते। बच्चे तो कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, उनको हम जिस तरीके से ढालेंगे, उस तरह के संस्कार बच्चों में आएंगे, वे वैसे ही बनेंगे। जब बच्चे अपराध करते हुए पकड़े जाते हैं, उनको जब हम बोर्ड के सामने ले जाते हैं और बोर्ड जो निर्णय करता है, वह बहुत सोच-समझकर निर्णय करता होगा और जो बच्चे अपराध करते हैं, उन बच्चों को समझा-बुझाकर उनके माता-पिता के पास वापिस भेज दिया जाता है या किसी इंस्टिट्यूशन को दे दिया जाता है।

उपसभाध्यक्ष जी, यह जो बिल है, इसमें फॉस्टर पेरेंट्स के बारे में कहा है—ऐसे पेरेंट्स जो कुछ दिनों के लिए इन बच्चों को रखने के लिए तैयार हों। गार्जियंस, फॉस्टर पेरेंट्स, फिट परसंस या फिट इंस्टिट्यूशंस इत्यादि, ये शब्द इस बिल में इस्तेमाल हुए हैं। मैं कहना चाहूंगी कि मंत्री महोदय ने कुछ सोच-समझकर ही इस एक्ट में कुछ प्रोविजन्स किए हैं, लेकिन इसमें बहुत बारीकी से सोचने और समझने की जरूरत है। नियम बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना

होगा कि बच्चे फिर से गलत हाथों में न पड़ जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टिट्यूशंस होते हैं जो बच्चों की केअर करने के लिए और बच्चों को गोद लेने के लिए आगे आते हैं। मैं यह नहीं कहती कि सारे NGOs या सारे इंस्टिट्यूशंस खराब हैं, गलत काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर, बहुत सारे NGOs या इंस्टिट्यूशंस ऐसे हैं जो बच्चों की केअर करने की बात कहकर उनको ऐडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं, लेकिन बाद में उन बच्चों की क्या स्थिति होती है, यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए बच्चों में अच्छे संस्कार हों, वे सही रास्ते पर आएं, इसके लिए हमें देखना होगा और इसके लिए हमें कड़े रूल्स बनाने होंगे ताकि ये बच्चे इस तरह की संस्थाओं के द्वारा गलत हाथों में न चले जाएं। जो स्पेशल होम्स बनाए जाते हैं, जहां कि हम बच्चियों को रखते हैं, वहां खरीददार या दूसरे इसी तरह के लोग आते हैं और वे बाकायदा शादी करके, मैरिज के बहाने, उन बच्चियों को वहां से ले जाते हैं, लेकिन बाद में उन बच्चियों को कहां बेच दिया जाता है, यह पता ही नहीं चलता। हजारों की तादाद में, बहुत सारे ऐसे केसिस हैं। तो इन पर किस तरीके से निगाह रखी जाए? इसलिए, मैं मंत्री महोदय से कहूंगी कि यह जो बिल में आपने अमेंडमेंट किया है, जो इसमें बातें रखी हैं, ये बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन इन सब चीजों की तरफ भी हमें ध्यान देना होगा। इसी तरीके से पुलिस थानों के बारे में मैं कहना चाहती हूं कि बच्चों की साइक्लॉजी समझने वाला व्यक्ति वहां होना चाहिए क्योंकि पुलिस वाले को तो ऐसा लगता है कि अगर मैं मानव शास्त्र समझकर, उसके अनुसार काम करूंगा तो पुलिस वाला कैसे कहला पाऊंगा। पुलिस वाले को तो लगता है कि डंडे के जोर पर ही सारी बातें मनवाई जा सकती हैं। इसलिए पुलिस थाने पर जो मानव शास्त्र समझता हो, इस प्रकार का कोई अधिकारी रखा जाए या उनको इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग दी जाए। कई बार देखा जाता है कि जो बच्चे सड़क पर हमें भीख मांगते हुए या इस तरह के अपराध करते हुए मिल जाते हैं और पुलिस थाने में जब हम उन्हें ले जाते हैं तो पुलिस वाले उनके साथ बहुत ही गंदा और बहुत ही कड़ाई का व्यवहार करते हैं, जो कि उन नासमझ बच्चों के साथ नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए ट्रेनिंग के साथ-साथ अवेअरनैस कैम्प आदि भी लगाए जाने चाहिए और ट्रेनिंग के साथ-साथ हमें ऐसी बातों का भी ध्यान रखना होगा कि ऐसे विशेष प्रकार के ट्रेंड पुलिस आफिसर वहां पर हों।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहूंगी, अभी मंत्री महोदया ने ज़िक्र भी किया है कि कभी-कभी जिस तरीके की घटनाएं, जिस तरीके के अपराध बच्चे करते हैं, तो हमने देखा है कि मीडिया यह कोशिश करता है कि दुनिया को इस बारे में पता लगे और वह बड़ी सनसनीखेज़ खबर बने।

लेकिन कहा जाता है कि आज बच्चे जो ज्यादा से ज्यादा सीरियल्स देखते हैं, इस तरह की चीज़ें वे इन्हीं सीरियल्स से ही सीखते हैं। उनमें यह सब चीज़ें ही बताई जाती हैं कि नये-नये अपराध किस तरह किए जाएं।

यहां पर मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जब कभी भी हम किसी बच्चे अथवा बच्ची के बारे में मीडिया में बताएं, जैसे अगर किसी बच्ची के साथ रेप हुआ है अथवा किसी बच्चे के साथ कोई और दुर्घटना हुई है, ऐसे में मीडिया में उनका नाम न बताया जाए एवं न ही उनकी पिक्चर दिखाई जाए, क्योंकि अगर उस बच्चे में सुधरने की थोड़ी बहुत गुंजाइश भी होगी और वह बच्चा अच्छे रास्ते पर जाना चाहेगा, लेकिन यदि उसका नाम पूरी दुनिया एवं देश भर में टेलीविज़न पर आ जाता है, ऐसे में उसके मानस पर इसका गलत असर होता है और उस बच्चे के साथ यह किसी स्टिग्मा की तरह जुड़ जाता है।

इस ऐक्ट के जरिए हमारी कोशिश यही है कि हमें इन बच्चों को सुधरने का समय देना है। जब इन्हें किसी सुधार गृह अथवा स्पैशल होम में रखा जाए, उस समय हम लोगों की तरफ से इन्हें कोई कार्य सिखा कर स्ट्रीम लाइन में लाने का प्रयास होना चाहिए। यदि कोई अखबार या टीवी चैनल बच्चों का नाम उजागर करता है, कानून के तहत उसे ऐसा कार्य करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। इसके लिए पहले 1000 रुपये दंड का प्रावधान था। आज के समय में 1000 रुपये कोई माइने नहीं रखते हैं, इस ऐक्ट के तहत आपने इस राशि को बढ़ा कर 25000 रुपये कर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं।

हमारी मंत्री महोदया स्वयं भी एक महिला हैं, उन्होंने इस बिल को अच्छी तरह से देखा होगा। सोच-समझ कर उन्होंने इस तरह का जो प्रावधान किया है, वह बहुत अच्छा प्रावधान है। यहां पर मैं एक सुझाव देना चाहूंगी कि इस तरह से जो 25000 रुपये वसूले जाएंगे, यह रुपये बच्चों के हित में ही खर्च किए जाएं, यदि आप ऐसा करेंगी तो यह एक बहुत अच्छी बात होगी।

जैसा कि सभी को मालूम है कि जुविनाइल का अर्थ - 18 वर्ष की उम्र के सभी बच्चे है। इस क्लॉज़ में आपने ''जुविनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ'' में इस उम्र के बच्चों को अलग रखने की बात को मान लिया है और साथ ही इसमें सुधार भी किया है, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं।

मंत्री महोदया जी से मैं एक बात और भी कहना चाहूंगी, आपने इसमें लिखा है कि अपराधी बच्चों को जहां ले जाया जाता है, उसमें जर्नी पीरियड को छोड़ कर 24 घंटे के अंदर ही बच्चे को पेश करना होता है। आपने इस समय में बच्चे को जेल या पुलिस लॉक-अप में रखने की बात कही है। कभी-कभी ऐसा होता है कि चूंकि हमने बच्चे को 24 घंटे के अंदर पेश करना है, उस बच्चे को पुलिस थाने में ही रख दिया जाता है। हमें एकदम ही ढूंढ़ने पर तो कोई संस्था अथवा स्पैशल होम नहीं मिलता कि जहां भेज सकें, ऐसी परिस्थिति में उन बच्चों को अपराधी किस्म के वयस्क व्यक्तियों के साथ न रख कर अलग से रखने की व्यवस्था होनी चाहिए।

मंत्री महोदया, मैंने अभी यह बात कही कि नाबालिग बच्चों को सजा देने के बजाए शासन का यह दायित्व या कर्तव्य बन जाता है कि वह उन्हें ऐसा बनने से रोके और साथ ही उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करें। आम तौर पर बाल अपराध को खत्म या नियंत्रित करने की दृष्टि से और उन्हें सुधारने के मकसद से उन्हें नाबालिग अपराधियों के जेलों अथवा बाल सुधार गृहों में भेज दिया जाता है, लेकिन देखने में आता है कि उनमें से ज्यादातर बच्चे सुधरने के बजाए कुसंगति में पड़ कर और भी ज्यादा खतरनाक अपराधी बन जाते हैं। ऐसे में केन्द्र एवं राज्य सरकारों पर यह जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए कि ऐसे अपराधी बच्चें को सुधारने एवं उनमें अच्छे संस्कार डालने जैसे कार्यक्रम सुधार गृहों एवं जेलों में भी चलाए जाने चाहिए ताकि उनका भविष्य सुधर सके। इसके लिए मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें रखना चाहूंगी।

पहली बात यह है कि देश में किशोरों के खिलाफ जितने भी आपराधिक मामले चल रहे हैं, उसके हिसाब से किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समितियों की संख्या बहुत कम है। राज्यों में उनकी संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। इसी तरह से निगरानी के लिए भी कुछ समितियों का होना बहुत जरूरी है। कहीं पर बनी हैं, कहीं पर नहीं बनी हैं। तो इस तरफ भी हमें ध्यान देना है। तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगी कि हिरासत में रखे गए किसी बच्चे को जबरन मजदूरी की सजा न सुनाई जाए। वहां बच्चों को जेल में हिसासत में रख लेते हैं और फिर बच्चों को जिस तरीके से वहां काम कराते हैं और जबकि वह बच्चा उस तरीके के काम का आदि नहीं होता है, वह टूट जाता है। वहां बच्चों का स्वास्थ्य भी इस तरीके का होता है। तो इस तरीके की वहां उनको मजदूरी की सजा न सुनाई जाए। बच्चों के मनोरंजन के नशे की लत से मुक्ति, बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल उचित रूप से की जाए, इसकी भी पर्याप्त व्यवस्था हो। व्यवस्था के साथ-साथ बजट में भी उस तरह का प्रावधान आप रखें तो बहुत अच्छा होगा। इसी तरह से स्वच्छता, पर्यावरण सुरक्षा, शिक्षा, बुनियादी निर्देशन की सुलभता और सुविधाओं से वंचित उनको न किया जाए। जब बच्चे वहां पर रहते हैं तो वहां देखा होगा कि सोने की जगह सीलन भी होती है, गंदे बिस्तर होते हैं, इन सब चीजों की ओर भी ध्यान दिया जाए। जो अपंग बच्चे हैं, अपंगता के जो शिकार बच्चे हैं, तो किशोरों की विशेष आवश्यकताओं का भी विशेष ध्यान रखा जाए। वहां जो कर्मचारी हैं वे पूर्ण प्रशिक्षित हों, जो बच्चों के अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करें। समाज में बच्चों के पुनः एकीकरण के लिए प्रयत्न होना चाहिए ताकि बच्चों को सुधरने का पूरा मौका मिल सके। मुकदमे से पहले बच्चें को हिरासत में रखने से भी बचाना चाहिए। हो सके तो दोनों पक्षों से जो बच्चे गलती करते हैं, तो दोनों पक्षों से बातचीत करके अगर समझौता हो सकता है तो समझौते की तरफ हमें प्राथमिकता देने की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसी तरीके से हिरासत के दौरान हिंसा और शोषण से बचाव हो, नहीं तो बच्चें में असंतोष जन्म लेता है और बदला लेने की एक भावना उसके मन में बलवती हो जाती है। बच्चे

को लगता है कि उसने जो किया है वह ठीक किया है। तो मनोविज्ञान की मदद से भावनात्मक सहयोग भी हमें ऐसे जो बच्चे गलत संगत में पड़ गए हैं, तो इस तरह का सहयोग भी हमें प्रदान करना चाहिए। विधेयक ऐसा हो कि न्यायिक कार्रवाई का सहारा लिए बिना ही ऐसे उपाय हम खोजें जिससे बच्चे मानसिक यंत्रणा से और उसके फलक से बच सकें।

मंत्री महोदया, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जहां तक अवेयरनैस की बात है, इसके बारे में मैं बिल्कुल यह तो नहीं कह रही हूं कि लोग नहीं जानते हैं लेकिन अवेयरनैस के कार्यक्रम होने चाहिए, पुलिस वालों को यह पता होना चाहिए जुविनाइल जस्टिस के बारे में जो बिल में भी हमने अभी अमेंडमेंट की हैं उसके बारे में भी, क्योंकि जुविनाइल एक्ट क्या है अगर पूछें तो वह बता नहीं पाएंगे कि यह क्या एक्ट है। उनको यह भी नहीं मालूम है कि उनके स्टेट में यह लागू है या नहीं है। तो इस प्रकार के मामले में पुलिस वालों के साथ, जुडिशियरी के साथ जो अनेक दिनों तक लम्बे-लम्बे मुकदमे वहां चलते रहते हैं और कभी-कभी जो बोर्ड के सामने भी इस प्रकार की बातें आती हैं और इस तरीके के बच्चों को दो-दो साल, तीन-तीन साल तक इन होम्ज़ में जब रखा जाता है तो मैं इसको अच्छा नहीं मानती। जितनी जल्दी हो सके बच्चों को न्याय मिले और न्याय मिलने के साथ-साथ उनको इस तरह की गतिविधियों में हम संलग्न करें, शामिल करें ताकि भविष्य में बच्चा अपनी गलती, जो अपराध उसने किया है उसको महसूस करता हुआ भविष्य में न करके और एक अच्छा नागरिक वह बन सके। इसलिए मैं यह सुझाव भी यहां देना चाहूंगी कि पुलिस के लोगों के लिए और अन्य जो जुड़े हुए सम्बद्ध पक्ष हैं, उनके लिए भी अवेयरनैस के कार्यक्रम जरूर चलाए जाने चाहिए। इन बच्चों को ज्यादा समय के लिए स्पेशल होम में नहीं रखा जाना चाहिए, ये बच्चे जन्म से अपराधी नहीं होते हैं, वे अपराधी किन्ही कारणवश बन गए हैं या बनाए गए हैं या अपराधी बनने के रास्ते में हैं, उनकी ओर हमें खास तौर से ध्यान देना होगा। आपने इस बिल को ठीक करने में जो अमेंडमेंट किए हैं, जो हमारा पुराना बिल था, उस बिल में जो अभी सुधार किए हैं, तो बहुत अच्छी कोशिश की है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदया से कहना चाहूंगी कि मुझे यह आशा है कि इतनी ही कड़ाई के साथ इस बिल का पालन होगा। जो बच्चे अपराध की लाइन पर चले जाते हैं, कभी-कभी वे बच्चे स्वयं अपराधी नहीं होते हैं, लेकिन वे गलत तरह के वातावरण में फंस जाते हैं, इसलिए उनके साथ न्याय हो जिससे कि बच्चों में सुधार आ सके। इसी बात को ध्यान में रखकर यह अमेंडमेंट बिल आया है। मैं आपसे आशा करती हूं कि आप इसका कड़ाई से पालन करवायेंगी और मंत्री महोदया इसके लिए पूरी कोशिश करेंगी। ...(व्यवधान)... मैं इसका समर्थन करती हूं यह मैंने पहले ही कह दिया है। उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सुश्री सुशीला तिरिया (उड़ीसा): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ ही साथ मैं मंत्री जी का अभिनन्दन करना चाहूंगी और उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। मुझे कभी-कभी यह लगता है कि हमारी मंत्री जी खुद ही जुवेनाइल लगती हैं। इस बिल में अमेंडमेंट के साथ-साथ, इस बिल में जो तंदुरुस्ती लायी हैं ....(व्यवधान)... इसीलिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगी और मैं यह कहना चाहूंगी कि यह बिल आज के समय की जरूरत है। मौटे तौर पर देखा जाये, तो जैसा कि श्रीमती माया सिंह जी ने कहा समर्थन के साथ-साथ, इसमें बहुत सारी बातें, मैं कहूंगी कि इतनी तो नहीं हैं, फिर भी, मोटे तौर पर उन्होंने ज्यादा ध्यान अमेंडमेंट को लाकर के रि-हेबिलिटेशन को, प्यार को और प्रोटेक्शन को दिया।

सर, जो जुवेनाइल ऑफेंस हैं, उसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगी कि इसको बाकी ऑफेंस के साथ में नहीं गिनना चाहिए। अगर मैं यह कहूं तो हो सकता है कि इस हाउस में अच्छा नहीं लगे, लेकिन हमारे पूर्व प्रधान मंत्री श्री वाजपेयी जी ने थोड़े दिन पहले यह कहा कि जवानी में कुछ गलतियां हो जाती हैं, परन्तु दूसरे दिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कहा। सर, इसीलिए जुवेनाइल ऑफेंस जो है, इस जुवेनाइल ऑफेंस को बाकी इस मोटी-मोटी धारा में हम तीन साल की उसको पनिशमेंट करें या 14 साल का कोई भी लड़का जो रोजगार के लायक हो, तो उससे एक हजार रुपये तक का फाइन दिलवायें, चाहे उसको किसी अच्छे चाइल्ड होम में, शेल्टर होम में या अच्छी जुवेनाइल पुलिस यूनिट बनाकर के उसको ठीक करें या लोकल अथारिटी के बॉर्डिंग में रिपोर्टिंग करके उसका साइक्लोजिकल ट्रीटमेंट करें, कुछ भी करें, This is exactly the time when they need care, protection and proper attention of their parents, colleagues and friend circle.

सर, मैं यह कहना चाहूंगी कि इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, इसके लिए मंत्री जी ने वेलकम करने लायक स्टेप्स उठाये हैं, ये स्वागत करने योग्य हैं। उसका जो भी ऑफेंस इन्क्वायरी के तहत प्रूव नहीं हुआ है, उसकी तुरन्त कोई पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। उसका नाम किसी न्यूज पेपर में, मीडिया चैनल में या वह किस स्कूल में पढ़ता है, कहां रहता है, क्या एड्रेस है, यह सब कहीं भी नहीं आना चाहिए। वह जो अमेंडमेंट है, मुझे लगता है कि वह साइक्लोजिकल ट्रीटमेंट के लिए एक अच्छा प्रावधान है, जिस प्रावधान के तहत एक कमिटमेंट होने के बाद, एक ऑफेंस होने के बाद, एक क्राइम होने के बाद एक बच्चे को स्कोप मिलता है अपने आपको सुधारने के लिए।

सर, मेरा यह कहना है कि जो गलतियां कम उम्र में हो जाती हैं, उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे सुधरते हैं और ऊपर से यह 24 घंटे के अंदर जो जुवेनाइल ऑफेंस है, उसकी लोकल

अथारिटी में रिपोर्ट होने के बाद, उसकी इन्क्वायरी कम्पलीट होनी चाहिए। इसीलिए मैं मंत्री महोदया को यह सुझाव देना चाहूंगी कि भारतवर्ष में 80 प्रतिशत गांव हैं, जो रूरल बेस हैं, जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। इसी तरह से हिली राज्य हैं, जहां पर 24 घंटे के अंदर इन्क्वायरी करना, रिपोर्ट करना संभव नहीं होता है। ऐसी जगहों पर लोकल अथारिटी को ज्यादा इम्पोर्टेंस और महत्व देना चाहिए। वहां पर लोकल अथारिटी की पावर ज्यादा बढ़ानी चाहिए जिससे कि उन लोगों को इन्क्वायरी करने में ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके और इन्क्वायरी कम्पलीट होने तक, whether he has committed the offence or not; उस तक पहुंचने में वे मददगार हो सकते हैं। इसलिए लोकल अथॉरिटी में, पंचायती राज सिस्टम में लोकल पंचायत को, जिला परिषद् को, म्युनिसिपेलिटी को तथा और किसी कॉरपोरेशन को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उनको भी इन्क्वायरी में माध्यम बनाना चाहिए, उनको इम्पोर्टेंस देकर उनकी रिपोर्ट को लेना चाहिए।

महोदय, इसमें एक और मुद्दे पर मैं उन्हें एप्रिशिएट करना चाहती हूं। जैसे आपने इसमें एडॉप्शन को भी रखा है। लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आयी, जिसके बारे में मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगी और उन्हें सुझाव देना चाहूंगी कि एडॉप्शन पहले नहीं था पर अब इसमें एडॉप्शन को भी जोड़ा गया है किन्तु इसमें जुवेनाइल इंडियन हो या फॉरेन इंडियन हो, तब एडॉप्शन हो सकता है। सर, मैं यह भी देखती हूं कि उड़ीसा में बहुत सारे ऐसे अनाथाश्रम हैं, जहां पर एडॉप्शन चलता है और वहां ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग नेगेटिव वे में हर चीज़ को लेंगे तो हमें हर चीज़ हमें नेगेटिव लगेगी और अगर पॉज़िटिव वे में हम उसे देखेंगे, लेंगे तो हर चीज़ हमें अच्छी लगेगी, पॉज़िटिव लगेगी। भुवनेश्वर एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे विदेशी, फॉरेनर्स आते हैं जो बच्चों को एडॉप्ट करके ले जाते हैं और 6 महीने के बाद जब वे दुबारा आते हैं तो बच्चे देखने में अच्छे-खासे लगते हैं। इसके अतिरिक्त एजुकेशन के मामले में भी वे लोग उनका ध्यान रखते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि केवल इंडियन एडॉप्शन को ही न रखते हुए, मान लीजिए कि if the board is satisfied, local authority will be satisfied. उधर के जो सोशल वर्कर्स इंस्टीट्यूट ऐसे सेटीस्फैक्टरी काम करते हों, उस तरह के इंस्टीट्यूट को इस तरह का काम सौंपा जाए जिसमें फॉरनर्स की एंटरी, with sufficient proof and certificate, उनको एडॉप्ट करने का मौका मिलना चाहिए यह मौका हमें देना चाहिए। सर, जब हम लोग शुरू-शुरू में मुम्बई के बारे बचपन में जानते नहीं थे, तब हम लोगों ने एक फिल्म ''सलाम बॉम्बे'' देखी और हमें उस उम्र में यह लगता था कि मुम्बई में सब बच्चों को शायद भीख मंगवाने के लिए ले जाते हैं। लेकिन जब हम सांसद बने, पढ़-लिखकर मुम्बई गए तब हमें पता लगा कि मुम्बई ऐसा नहीं है, मुम्बई बहुत बड़ा शहर है, बहुत पढ़े-लिखे लोग भी वहां जाते हैं, ''ए'' क्लास सोसायटी भी

वहां रहती है। मेरा यह कम्पेरीज़न करने का उद्देश्य यही है कि हम लोग हमेशा नेगेटिव सोचकर पॉजिटिव को डिसकवर नहीं कर सकते, हमेशा नेगेटिव के अंदर ही पॉजिटिव ढूंढना चाहिए और नेगेटिव न सोचते हुए पॉज़िटिव की तरफ ध्यान देकर, पॉज़िटिव वे में आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि सबसे अच्छा यह है कि जिसके बच्चे नहीं है, जिसका गार्जियन है, foster parents या एडॉप्शन केवल इंडिया तक सीमित न करते हुए इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, if the local authority is satisfied तो उनको उसमें एडॉप्शन देना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले माया सिंह जी अवेयरनेस के बारे में कह रही थीं। मैं भी काउंसलिंग और अवेयरनेस–इन दोनों चीज़ों को इसमें ज्यादा महत्व देना चाहूंगी क्योंकि आजकल जिस तरह से भ्रूण हत्या चल रही है और उसके ऊपर जुवेलाइन ऑफेंस और क्राइम जिस तरह से चल रहा है, उस स्थिति में काउंसलिंग और अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आज देश में मशरूम की तरह एनजीओज़ फैले हुए हैं, देश में मशरूम की तरह साइंस एवं टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। एक तरफ कन्या भ्रूण हत्या हो रही है और दूसरी तरफ जुवेनाइल ऑफेंस या क्राइम चलते आ रहे हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि हमें देखना चाहिए कि कहां पर हममे कमी है, कहां पर हम यूथ फोर्स को अपने देश के कंस्ट्रक्टिव काम पर नहीं लगा पाए जिससे आज देश में नक्सलवाद बढ़ रहा है, टेररिज्म बढ़ रहा है और कहीं अंडरवर्ल्ड चल रहा है। क्या हम देश के प्रति हमारी इन जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं? क्या हम इस देश के कामों में कंस्ट्रक्टिव वे में यूथ को नहीं लगाना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं? केवल हम लोग अपना ही काम करना चाहते हैं? मैं एक सांसद हूं तो मैंने भाषण दे दिया, मंत्री जी ने कानून बना दिया, इम्प्लीमेंटेशन की ओर ध्यान नहीं देंगे कि इम्प्लीमेंटेशन जमीन पर कुछ भी हो। मैं मंत्री महोदया से बहुत प्यार से केवल यह निवेदन करना चाहूंगी कि इसमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस और काउंसलिंग की जरूरत है क्योंकि यह हकीकत है कि एक बार छोटा-मोटा क्राइम हो, ज्यादा बड़ा क्राइम हो, ज्यादा बड़ा क्राइम न भी हो, तो कहते हैं कि समाज में उनका नाम बदनाम हो जाता है। Parents उनको वापस वहीं लेना चाहते हैं और वे ऐडॉप्टेड मां-बाप को ढूंढकर, कहीं न कहीं शैल्टर होम में रहना चाहते हैं। पता चला कोई इंटेलिजेंट लड़का किसी शैल्टर होम में, चाइल्ड होम में है, तो कुछ लोग अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ के लिए prepare करने के लिए, उन्हीं में से चुनकर, पैसा देकर ले गए, तो हमने तो अच्छे उद्देश्य के लिए भेजा, लेकिन वह बना क्या? एक बहुत बड़ा क्रिमिनल बना, छोटे क्रिमिनल से बड़ा क्रिमिनल बन गया, इसलिए समाज के जो रीति-रिवाज हैं, जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसको चेंज करते हुए अपने डिपार्टमेंट की तरफ से उनको हमें ऐश्योरेंस देना है कि जो भी बच्चा इस तरह से छोटा-मोटा क्राइम करता है, मां-बाप उसको ध्यान से पढ़ाएंगे, ऐजुकेशन देंगे, उसकी हैल्थ-हाइजीन सब कुछ देखेंगे। उसके अलावा जिस तरह से ऑफेंस किया है इस जुवेलाइन एज में, तो कोई बच्चा अगर अच्छी डिग्री

प्राप्त कर ले, इंजीनियर, डॉक्टर बन जाए या क्रीम ऑफ दि सोसाइटी, पढ़-लिखकर देश का नाम कमाने के लायक बन जाए, तो उसको अवार्ड सिस्टम में रखना चाहिए। उसका रिकॉर्ड देखकर सरकार की तरफ से कभी न कभी अवार्ड देना चाहिए, ताकि इस तरह के बच्चों को भी फ्यूचर में एनकरेजमेंट मिल सके। हम समाज में जरूर रहते हैं, पर जुवेनाइल ऑफेंस के लिए–यह कोई बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं है, इस ऑफेंस को भी हम चेंज कर सकते हैं।

सर इसमें ज्यादा न कहते हुए मैं काउंसिलिंग की बात भी कहना चाहूंगी। जुवेनाइल ऑफेंस में जो तीन साल का समय आपने रखा है, अच्छे बिहेवियर के लिए उन लोगों को तीन साल से पहले भी आप छोड़ सकते हैं। मैं यह कहूंगी कि बहुत सारी जनरल जेलों में भी ऐसा होता है कि अवेयरनेस या काउंसिलिंग का कोई भी अच्छा काउंसिलर वहां नहीं जाता है। काउंसिलिंग का प्रोविज़न बहुत सारी जेलों में है, फिर भी उसका इंप्लिमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। मैं यह कहना चाहूंगी कि इसमें अच्छे से अच्छे साइकोलॉजिस्ट, मनोविज्ञान विषय में जिनकी अच्छी नॉलेज है, उनको इस तरह से--जहां पर जुवेनाइल ऑफेंस किया है, ऐसे लोगों के लिए अच्छे से अच्छे काउंसिलरों का पंद्रह दिन या एक महीने में उनके लिए प्रावधान रखना चाहिए। उनकी क्लास लेनी चाहिए और उस समय उनको जो काम-धंधे के लिए पढ़ना चाहते हैं, उनकी ऐजुकेशन के लिए भी कुछ कोचिंग वगैरह देनी चाहिए। वे जो काम करना चाहते हैं, उनको उस जगह में कुछ प्रोफेशनल ऐजुकेशन, टीचिंग की शिक्षा उनको देनी चाहिए। सर, मैं इस सबजेक्ट पर ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आपने स्टेट गवर्नमेंट्स पर कुछ प्रावधान छोड़ा है और मंत्री महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि स्टेट गवर्नमेंट्स पर ज्यादा निर्भर होने से भी हमारा काम नहीं चल पाएगा। जैसे भारतवर्ष में NREGS का एक ऐक्ट लागू हुआ। इसके तहत सौ दिन का, बेकार युवाओं को, भत्ता मिलना चाहिए, उनको काम-धंधा नहीं मिलेगा, तो सरकार उनको भत्ता देगी, लेकिन NREGS एक नेशनल ऐक्ट है, उसको भी चेंज करके किसी राज्य ने OREGS कर दिया, राज्य ने कानून बना दिया, मतलब नेशनल ऐक्ट को भी राज्य सरकार चेंज करके स्टेट कानून का नाम दे रही है। तो मेरा कहना यह है कि जहां पर ज्यादा ऐनरॉलमेंट है, ट्राइबल इलाके के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि छत्म्ठै के तहत भी ऐनरॉलमेंट अभी तक ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। रिकार्ड में आप चाहे कुछ भी दिखा लीजिए, चाहे कोई भी रिपोर्ट भिजवा दीजिए, There is no satisfactory implementation of the NREGS in tribal areas. तो इस तरह से मान लीजिए, आपने कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर ज्यादा छोड़ दिया, पहले तो देश में और उस तरह से रूरल, बैकवर्ड और अनऐजुकेटेड राज्यों में, जिलों में, जहां पर पहाड़ है, जहां पर नक्सलवाद बढ़ रहा है, उसी क्षेत्र में जुवेनाइल क्राइम के तहत जितने भी बच्चे पकड़ में आएंगे, केवल पांच-दस साल में ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनल और नक्सलाइट आपको उधर देखने को मिलेंगे, इसलिए अगर वाकयी आप उनके

सुधार की भावना से यह बिल लाए हैं तो जो कानून हैं, आप उनको और कड़ा कर लीजिए और फिर उनको अपने हाथ में लीजिए। उनमें सुधार करने के सब्जेक्ट्स और मुद्दों को अपने हाथ में लेकर, इस कानून को पास करें। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी और साथ ही, आप इस देश के नौजवान और बच्चों को जगाने के हित में, यह बिल यहां पर लाए, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देती हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Next, Shri Uday Pratap Singh.

SHRI BIRENDRA BHATIA (Uttar Pradesh): Sir, Mr. Uday Pratap Singh has gone. I am also from Samajwadi Party. I have to speak in his place.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): But you will have to give in writing well in advance for that.

SHRI VIRENDRA BHATIA: Sir, I have already sent a letter in this regard.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay. Sorry, I did not see it. You may start.

श्री वीरेन्द्र भाटिया: उपसभाध्यक्ष जी, मैं समाजवादी पार्टी की ओर से The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2006 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मंत्री श्रीमती रेणुका चौधरी जी को बधाई देता हूं कि यह बिल लाकर उन्होंने एक सार्थक प्रयास किया है। बच्चों के प्रति संवेदना होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि हर व्यक्ति यह जानता है कि बच्चे ही इस देश के भावी कर्णधार हैं। यह भी सही है कि बच्चों का मन बहुत निर्दोष होता है। हम बच्चों को कैसा बनाएं, यह समाज पर, सामाजिक परिवेश, माता-पिता और गुरू पर निर्भर करता है। मैं अपनी बात को दो भागों में बांटना चाहता हूं, पहली बात यह है कि जब कोई अपराधी बन जाता है, तो उसके बाद क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? दूसरा भाग है कि अपराधी बनने से पूर्व, उसको रोकने के लिए, क्या प्रयास किए जाने चाहिए? मैं कोई मनोवैज्ञानिक नहीं हूं। मैं पेशे से वकील हूं। 33 साल की वकालत के अनुभव के आधार पर, मैं बहुत सी बातें कह सकता हूं कि बच्चे अपराधी क्यों बनते हैं? पहली बात यह है और जैसा कि माननीय सदस्या श्रीमती माया सिंह जी ने भी कही है कि अपराधी बनने से पहले ही उसका उपचार किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हम यह जान लें कि बच्चे अपराधी क्यों बनते हैं? आज बच्चों पर नियंत्रण समाप्त हो गया है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज माता-पिता भी अपने बच्चों की ओर पूरा ध्यान

नहीं दे पाते हैं। बच्चे अपने आपको निग्लेक्टिड फील करते हैं। पहले स्कूल में, कॉलेज में और फिर विश्वविद्यालय में गुरु का डर रहता था। मैं माफी चाहते हुए, यह कहूंगा कि धीरे-धीरे अब गुरु का डर भी समाप्त हो रहा है। इसमें दोषी कौन है, मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सी जगह यह बात भी सामने आई है कि गुरु भी अपना कार्य गुरु के रूप में नहीं करते, केवल आर्थिक दृष्टिकोण को रखते हुए करते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी मॉरल अथॉरिटी खो दी है। इसके बाद तीसरा पहलू आता है। जब समाज में उनका डर खत्म हो गया, माता-पिता और गुरु उनकी ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो वे समाज के अन्य वर्गों से मिलते हैं। जैसा कि यहां पर माया सिंह जी ने कहा है, मैं उनकी बात से इत्तिफाक रखता हूं कि आज जीवन के इस भौतिक युग में रातों-रात अमीर बनने के तमन्ना और अपने साथियों को बड़े-बड़े कार्य पर जाते हुए देखना, अपने साथियों को बड़े-बड़े होटलों में जाते हुए देखना, बड़े-बड़े पूंजिपतियों के लड़कों को आशाभरी निगाहों से देखते हुए, और वहीं पर पहुंचने की ललक, उनको कभी-कभी अपराध की दुनिया की ओर ले जाती है। आज उसमें एक ललक और भी है, मुझे मीडिया वाले माफ करें, अगर प्रसिद्धि की ओर जाना है, तो वे सोचते हैं कि कुछ ऐसा कार्य करो, जिससे रातों-रात प्रसिद्धि मिल सके और हम आगे जा सकें। अगर हम सकारात्मक भूमिका नहीं कर सकते, तो नकारात्मक भूमिका अदा करते हुए ही, समाज में हमारी पहचान बन सके, यह भी एक कारण है। मेरे पास कई लोग आते हैं, जब इस प्रकार के बच्चे मेरे पास आते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं कि ऐसा करने का क्या कारण है? कई बच्चों ने मुझसे कहा कि वैसे तो कक्षा में मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मैं गरीब घर का बालक था, जब मैंने इस प्रकार का कार्य किया, तो आज हर व्यक्ति मेरी तरफ ध्यान दे रहा है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि मैं टी॰वी॰ और मीडिया पर दिखाया जा रहा हूं, मेरी इच्छा थी कि मुझे टी॰वी॰ पर दिखाया जाए। ये सब प्रवृत्तियां बच्चों में उत्पन्न हो रही हैं। मेरी समझ से इन सबको रोकने की आवश्यकता है। एक बात मैं और कहूंगा कि यह प्रवृत्ति उन बच्चों में अधिक है, जो अनाथ हैं या जिनके ऊपर माता-पिता का नियंत्रण नहीं है या जिनके माता-पिता का दांपत्य जीवन ठीक नहीं है, मियां-बीवी में झगड़ा हो रहा है, उन परिवारों में यह प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है क्योंकि माता और पिता, आपसी झगड़े की वजह से बच्चे के पालन-पोषण में अपनी सही भूमिका अदा नहीं कर पा रहे हैं या जहां आपस में litigation चल रहा है, divorce petition चल रहे हैं या बच्चे की कस्टडी को लेकर अदालत में संघर्ष हो रहा है, एक कहता है कि बच्चा मेरे साथ रहे, दूसरा कहता है कि बच्चा उसके साथ रहे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, बच्चे को माता और पिता, दोनों के प्यार की आवश्यकता होती है और जब वह प्यार उसको नहीं मिलता, उसको खंडित प्यार मिलता है, तो उसके मन में कुंठा उत्पन्न होती है और ज्यादातर यह कुंठा ही उसे आपराधिक दुनिया में ले जाती है। आज अपराधी लोग

बच्चों का इस्तेमाल करने लगे हैं। इसके अलावा एक पहलू और भी है, कुछ बच्चे अपराध की दुनिया में इसलिए भी जाते हैं कि उनके परिवार में उनकी जीविका का साधन नहीं है, माता और पिता, उनको सही प्रकार से भोजन तक नहीं दे पाते हैं। कभी-कभी आठ साल, दस साल और बारह साल के बच्चों को भी देखा गया है कि वह पंचर की दुकान पर काम करता है या होटल में कार्य करता है, इसलिए करता है क्योंकि उसके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, उसको बहन और मां के लिए भी रोटी की व्यवस्था करनी पड़ती हैं। वही एक जगह है, जहां से अपराधी लोग इन छोटे-छोटे बच्चों को उठा लेते हैं और उनके लिए उनके शरणदाता बन जाते हैं, उनके बॉस बन जाते हैं और वहीं से उनको अपराध की दुनिया में ले जाते हैं। आज से करीब 10-20 वर्ष पूर्व की स्थिति देखें, तो बच्चों की अपराध की दुनिया पिकपाकेटिंग तक सीमित थी, छोठी-छोटी चोरियों तक सीमित थी, रेलवे प्लेटफॉर्म पर अटैची लेकर भाग जाओ, ऐसे छोटे-मोटे कार्य वे करते थे और इसलिए करते थे कि समाज में व्यक्ति बच्चों पर दया करता था, उसको लगता था कि यह अगर बच्चा पिकपाकेटिंग में पकड़ा जाएगा, तो कोई आएगा, वह कहेगा कि अरे, बच्चा है, जाने दो, एक झापड़ मारकर छोड़ देगा, ऐसी भूमिका अदा की जाती थी, लेकिन आज अगर आप देखें तो अपराध की दुनिया में बच्चे, वे अपराध कर रहे हैं, जो संगीन अपराधों की श्रेणी में आते हैं। आज उनका हत्या करने के काम में प्रयोग किया जाता है, आज उनका बड़े कामों में प्रयोग किया जाता है, इस पर भी हमको विचार करना पड़ेगा। यह सही है कि आपने बड़ा सार्थक प्रयास किया है, लेकिन जब तक हम उसकी जड़ तक नहीं जाएंगे, हम उसको समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें यह देखना होगा कि समाज में यह सब क्यों हो रहा है। संसद के केवल कुछ सदस्य यहां बैठकर सामाजिक परिवर्तन नहीं कर सकते, इसके लिए हमें सक्रिय भूमिका खुद अदा करनी पड़ेगी। जब तक हम सामाजिक परिवर्तन की बात नहीं करेंगे, NGOs को, लोगों को अपने साथ एक सामाजिक आंदोलन के रूप में नहीं लेंगे, तब तक यह कार्य हम नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि बच्चों के लिए हर मन में प्यार होता है, बच्चों के लिए हर मन में स्नेह होता है और मैं रेणुका जी से कहूंगा कि वे इसको एक प्रकार से मूवमेंट के रूप में चलाएं, एक सप्ताह, एक महीना यह मूवमेंट चलाएं, बच्चों को सुधारो, उन्हें शिक्षा दो, तो शायद हम उसमें कुछ भूमिका अदा कर सकेंगे और अपराध कुछ कम हो सकेंगे। जहां तक अपराध करने के बाद की बात रही, इसमें बहुत से सुझाव बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं मंत्री महोदया से एक बात जरूर कहूंगा कि जहां उन्होंने स्पेशल फोर्स की बात कही है, यह सही है, इसे मक्खन न समझें, मैं समझता हूं कि उस फोर्स में सिर्फ महिलाओं को ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के मन में बच्चों के लिए जो संवेदना होती है, वह किसी और के लिए नहीं होती। उसका भी कारण है कि पुलिस ऑफिसर, स्पेशल पुलिस ऑफिसर से ज्यादातर कभी-कभी

बच्चे यौन शोषण का शिकार हो जाते हैं और महिला अधिकारी से ऐसी अपेक्षा नहीं की जाती है। इसलिए मैं कहूंगा कि जब आप नियम बनाएं, तो अगर उसमें यह प्रावधान कर दें कि स्पेशल फोर्स महिलाओं की रहे, तो अधिक उपयुक्त होगा और आपने जो कहा है, उसकी भावना के अनुरूप होगा।

मैं वकील होने के नाते अनुभव के आधार पर एक बात बता रहा हूं कि आपने यह तो प्रावधान किया है कि स्पेशल कोर्ट्स कंस्टीट्यूट हों, आपने यह भी कहा है कि बोर्ड बनने चाहिएं, लेकिन जब कोई किशोर पकड़ा जाता है, तो सामान्यतः अनुभव यह कहता है कि इस बात को तय करने में 2-3 महीने लग जाते हैं कि वह किशोर है कि नहीं। इसके पूर्व Indian Children Act था। जब आप Juvenile Justice Act लाए, तो आपने Indian Children Act को repeal किया। Indian Children Act में यह व्यवस्था थी कि जब 16 साल से कम का बालक मजिस्ट्रेट के सामने produce होता था, तो उसे जमानत मिल जाती थी। इसी प्रकार CrPC में 437 में यह व्यवस्था है कि If he is below the age of 16 years, he shall be released on bail. लेकिन उससे उसको जमानत मिल जाती थी। आज स्थिति यह है कि जब आप कहते हैं कि यह बोर्ड तय करेगा कि whether he is a juvenile or not, तो कभी-कभी उसको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने यह तय करने में लगते हैं कि वह juvenile है कि नहीं। इस बीच उसे कहां रहना चाहिए, उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, न्यायालय की क्या भूमिका होनी चाहिए, न्यायालय decide करने तक उसे juvenile home में भेजेगा, या जेल में भेजेगा, Child home में भेजेगा या जेल में भेजेगा, इस प्रकार की कोई भी स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। इसके अभाव में जब सामान्यतः मजिस्ट्रेट रिमांड करते समय उसे जेल भेज देते हैं, तो जेल में वह अपराधियों के साथ मिल जाता है और अगर वह छोटा अपराध कर रहा है, तो अपराधी उसे बड़े अपराधी के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उसके मन में और पैसे से, लालच से, शोहरत देने के लिए या और किसी कारण से उसको बड़ा अपराधी बना देते हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जब तक यह सुनिश्चित नहीं होता कि वह juvenile है कि नहीं, तब तक *prime facie* उसके डॉकुमेंट के आधार पर उसे juvenile मानते हुए ही कार्रवाई की जानी चाहिए।

तीसरी बात यह है कि जैसा अभी आपने कहा कि 24 घंटे exclusive of journey, मुझे इस पर भी आपत्ति हैं। मैं यह समझता हूं कि 24 घंटे का समय बहुत होता है। हो सकता है कि मजिस्ट्रेट के पास इतनी दूर ले जाने के लिए 24 घंटे से अधिक की जरूरत हो, तो आप समझ सकती हैं कि जिसके लिए आप protection and care की बात कर रही हैं, उस juvenile की, जो खुद juvenile है, अगर उसे वहां पर ले जाने के लिए 24 घंटे लगने वाले हैं, उसे इतनी दूर ले जाना है, अगर किसी को दिल्ली से मेरठ ले जाना है, तो वह juvenile 16 साल

का, 15 साल का, 14 साल का बालक मेरठ से दिल्ली protection के लिए जा रहा है, तो उसकी हालत तो वैसे ही खराब हो जाएगी। इसलिए इस पर मेरा सुझाव यह है कि आप इसकी बजाय nearest court कर दें, जो भी nearest court हो और वह उसे जमानत पर रिहा कर दे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यह तय करे कि वह juvenile है कि नहीं।

एक अन्य बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने 16 साल से 18 साल की उम्र की बात कही है। यह ठीक है, लेकिन जब CrPC बनी, तो 16 साल की उम्र जान-बूझ कर रखी गई थी, जब Children Act enact हुआ, तो 16 साल जान-बूझ कर रखी गई थी। यह माना गया था कि 16 साल से कम का बालक clean slate होता है, निर्दोष होता है, उसके मन में बहुत कोमल भावनाएं होती हैं और वह सामान्यत: अपराधी नहीं होता।

लेकिन आज परिस्थिति बदल रही है। आज आप ने 21 साल से 18 साल की आयु में उसे मताधिकार के प्रयोग का अधिकार दिया है। इसलिए कि आप यह मानते हैं कि आज वह ज्यादा परिपक्व हो गया है। महोदय, मैं अपनी बात को दो भागों में बांट रहा हूं—एक 16 वर्ष से नीचे और दूसरा 16 से 18 वर्ष के बालक के लिए। यह एक पहलू है और मैं उनके विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि आपने आयु 16 से 18 वर्ष की है, अगर आप अपराध की दुनिया के datas मंगा लें तो देखेंगे कि आज संगीन अपराधों में 16 से 18 साल के ही बालक प्रयोग किए जा रहे हैं। आज आप मानेंगे कि टी॰वी॰ के कारण या शिक्षा के कारण 14 साल का बालक ज्यादा परिपक्व है जो हम लोगों के युग में 20 साल में नहीं हो पाता था। इस समय 16 से 18 साल के बालकों को ये शातिर अपराधी, माफिया और ठेकेदार, उन का प्रयोग कर रहे हैं।

महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, सिर्फ इशारे में बात करना चाहता हूं कि इस बारे में पुन:विचार करिए और सोचिए कि कहीं आयु को 16 से 18 साल करने पर क्योंकि वे बालक जेल नहीं जा सकते, क्योंकि उन को सजा नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पास बहुत सी सुविधाएं हैं — कहीं ऐसा न हो कि उन बालकों को जो 16 से 18 साल की उम्र के बीच में हैं, ये माफिया, hardened criminalists, terrorists अपने लिए प्रयोग करें और उसका लाभ लें जो आप उन्हें इस एक्ट से दे रहे हैं? इसलिए इस बारे में पुन:विचार की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI MATILAL SARKAR (Tripura): Mr. Vice-Chairman, Sir, at the outset, I rise to support the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2006, which has been brought forward by the hon. Minister, Shrimati Renuka Chowdhury.

Sir, by bringing in this Bill, the Government intends to amend the principal Act which was passed in 2000 and which came into force from 2001. Sir, so far as I have been able to understand, there are two categories of children that have found place in this Bill. One category relates to the 'juvenile in conflict with law' and the other category is the 'child in need of care and protection.' In respect of category one, *i.e.* juvenile in conflict with law, I would like to say that a child is never born as a criminal. When a child is born, he is innocent, he is free from all sorts of sins, as honest as can be. But it is the situation prevailing in society, in some parts of the society which compels a child to commit a crime. So, the term 'juvenile in conflict with law' means an honest, good and sincere boy, who under some compulsion or under some force, has committed something wrong. Sir, the Act should aim at making him a good man, to bring out the good man in him. What is wrong in him has to be undone. That has to be undone. And, all efforts should be made to bring him up as a child without any inclination towards crime.

Sir, in respect of the category 'child in need of care and protection', of course, care and protection are necessary for him, but he should not be treated as an object of charity. The future citizen is hidden in him. It is the right of the child to live here; it is the right of the child to have the pleasures of life. This law must be considered from that point of view.

Sir, coming to the amendments, I support the amendments, but I wish to make a few observations with regard to some of them. Besides institutional rehabilitation, non-institutional rehabilitation has also been included. This is good, and that is why, the definition of adoption has come in. In the definition, it has been said that the child must be permanently separated from his biological parents. Now, this is a legal provision. Legally, he is handed over to the adoptive parents and the adoptive parents become his parents now. But though it has been provided for legally, it cannot be done socially. Parents always remain parents! Therefore, while applying this rule, I urge upon the hon. Minister to see to it that when it is an amicable adoption, when the child is being handed over in accordance with law, this social relation should not be hindered.

Sir, the local authorities have been excluded. This is a good thing, because the Government has come in, district level authorities have come in, and at various levels there are authorities to take care of it. But, even then, the role of local authorities, the Panchayats, Zilla Parishads and the Municipalities cannot be denied; they do have a role to play, in whatever manner it may be. But, if all through, the word, local authority is withdrawn, it look as if it has no responsibility. It should not go to that extent. The local authorities will always be having some responsibility because they know best about the children; they know best, they know their culture, their background, their family status, etc. Everything is known to the local authorities.

Sir, it has been rightly said that within a period of 24 hours the child should be handed over to the Board. But even 24 hours need not be consumed. It does not mean that the child must be detained for 24 hours. If he can be handed over within two hours, what is the harm? So, if there is any intention to detain him till the next day, he has to be taken care of. Without any logic, he should not be allowed to languish for 24 hours for nothing.

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

Sir, I must thank the hon. Minister that she has kept the child quite detached from the Police regime. I have gone through the report of the Standing Committee where it has been said that in no case should there be a police lock-up. You have taken this into consideration and I congratulate you that you have made a very important provision here. The child should not be lodged in jail or put in Police custody; he should be better sent to children's homes or special homes. It is a good provision. About media, there is a caution in it. It is very good. The fine has been extended up to Rs. 25,000. But why can't the word 'imprisonment' be applied? In some cases, there may arise cases like this. The word 'imprisonment' is absent. But the fine may be raised in some cases. If the visual media is viciously publishing all this to magnify the incident in their own fashion, that should be forbidden or controlled. Sir, while supporting all this, I would like to say one thing. It is included here, 'irrespective of marital status'. Care should be taken there. If a person is married having children also and he likes to adopt another child -- suppose, he is having male child and he is not having female

3.00 P.M.

child or girl child, or he may have both male and female child and even then he is trying to adopt out of sympathy -- care should be taken that he may not, even the Standing Committee has also given a word of caution there, indulge in the profession of selling or buying children. In the name of helping children, that attitude should not, in any way, crop up. That care should be taken. Sir, I am inviting the attention of the hon. Minister to Children Homes. What is the condition of Children's Homes? Sir, when I was an MLA in my constituency, there was a very good Children Home. Very often, I happened to visit and see children there. After some years, I heard that now they are not admitting any child. Why? They said that all the financial help to them has been withdrawn, so they are trying to send all the adult boys and girls to their parents and reducing the number like anything. This should not happen. You should take care as to how these Homes are running— whether they are getting funds; whether water arrangement is there; whether sanitation facility is there; whether there are facilities for children to participate in games and sports. Care should be taken that all these facilities are there. Children who stay there are tomorrow's men. As if they are in the village, as if they are in the home or as if they are in the society, that atmosphere should be brought there. In some cases, I am sorry to say, and some news also came in the newspaper, that the Homes are not treating them in that way. What is the provision you are having for monitoring them at intervals? Are you having some such laws that you can enter these Homes and see as to how they are nourishing these children, or whether facilities are prevailing there or not? If you do not provide such facilities, if the Government do not provide such facilities, then from where will they come? The hon. Minister may say that the State Government will look into the matter. This is another way of passing it on. But this should not be done. The State Government is having constraint of resources. I may speak of the North-Eastern States and the resources they are having. And, in the original Act, you have mentioned that the fund will be in the ratio of 50:50. Where from will these tiny States of Mizoram, Manipur and Tripura manage these funds? So, the responsibility should be of the Central Government. Merely entrusting the to the State Government will not suffice. Then, proper monitoring is required. Sir, there are news items about the incidents of crime around these homes. There are criminals also in the society who

try to have constant contact with the management of these homes and they abuse the child, especially the girld child. Abuse of girl child occurs in many of the cases. I would like to know as to what preventive measures the Government is taking to stop this nuisance *(Time-bell)*. Sir, I will take five minutes more. Sir, the homes are for children's safety, for their well-being, and these should not turn into the centres of criminalisation of children. I thank the authorities of children homes and orphanages which are doing excellent work. I do not include them in my remarks. I am including those which are actually squeezing the child and making it an instrument of earning money. Throughout day and night, they have put them to labour. If the Government enquires, it will find that in many of the homes, the children are put to work, sometimes in the name of gardening, and sometimes in the name of carrying water. What preventive measures is the Government taking to protect these children? Sir, there are number of Juvenile Justice Boards and Child Welfare Committees. As you have given provision, if you calculate State-wise or district-wise, their number will be quite large. Where from will the funds come and how can you monitor all these Boards and Committees? I think that has to be taken care of, Sir, while concluding, I would like to say that I have gone through some of the Reports — USA Trafficking in Persons (June, 2005) Report; Report; the latest World Bank Report; the Human Rights Watch Asia Report; the International Labour Organisation Report. In a nutshell, I should say that in all these Reports, there is a tendency to make adverse remarks against our Government in respect of child care and preservation of child rights and child development. Why is it so? In the USA Trafficking in Persons Report, June, 2005, they have blamed that India did not comply with the minimum standards of elimination of trafficking. There, they have dared to the extent of describing India as a source, transit and destination country for women, men and children trafficking. Sir, I do not know whether these remarks have been contradicted or not. This is a serious issue. If these are genuine remarks, I would like to know what is going to be done. But, if they are not genuine remarks, they should be contradicted.

Sir, as far as the child care is concerned, in the latest World Bank Report, they have appreciated the stand taken by the Government for supplying supplementary feeding for the age group of four to six years. They have appreciated that India has developed in arranging for

supplementary feeding. But they have mentioned some deviations. What are these deviations? There are two types of deviations. One deviation is that for the age group of 0-3 years, care has been taken properly and the other deviation is that the parents of the children are not properly oriented in the right earnest in matters of child care. The parents' counselling is also necessary. Sir, in these Child homes or the Special homes, whatever you may call, this counselling is not being done properly. Counselling is an unavoidable, inevitable thing.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, in the end, I would say that we are definitely going to pass this Bill. All of us are supporting it. Sir, we have passed a plethora of legislations in the past. In the year 1933 -- at that time, when I was not born -- the Children (Pledging of Labour) Act was passed; in 1976, the Bonded Labour System (Abolition) Act was passed; in 1980, the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act was passed, and, in the year 2000, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act was passed. (*Time-bell*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. You have taken double the time that was allotted.

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, there is a plethora of legislations. My question is what have we achieved? Have we come up to the expectations? Sir, what is needed is the political will of the Government. My last appeal to the Government is to have a political will and say that we shall take care of the children; we shall do everything for their well-being. Sir, I have the statistics available with me. I was a teacher and that is why it shocks me when I come to know that a boy of 12 or 13 years, who is studying in Class VI, is not there in Class VII. If I send somebody to call his guardians to enquire as to why he is not coming. He would say, Sir, what should we do? (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Sarkar, please conclude. I think, you have taken the maximum time. (*Interruptions*)

SHRI MATILAL SARKAR: These are the things. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Sarkar, please conclude. You have taken the maximum time.

SHRI MATILAL SARKAR: So, my earnest request to the Government and to the hon. Minister, in particular, is to have a strong will so that we can save the children. Sir, there is a saying, "Today's child is the future citizen of this country". (*Time-bell*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. (*Interruptions*) Next speaker is Smt. S.G. Indira.

SHRI MATILAL SARKAR: So, my last point is that we should anyhow save the child and see that all the provisions of the Act are implemented properly. Thank you, Sir.

SHRIMATI S.G. INDIRA (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, I must be thankful to you for giving me the opportunity to speak on this Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2006. Sir, I welcome this Bill with some suggestions. Sir, the juvenile justice is the need of the hour. So, it is the right time that it has come up to help and protect the children. The overriding nature of this Bill in respect of all cases relating to juvenile is the welcome feature of this Bill. The uniformity of non-completion of 18 years of age irrespective of the gender is yet another welcome feature of this Bill. Sir, we are all aware that the Indian Penal Code grants total immunity to the children upto 10 years. They are not punished for any offence. So, from the age of 11 to 18, they are sent to the home. And, under this, there is some punishment for them. Conflict in the law is between the age of 11 to 18. This is called the age of adolescent, irrespective of the gender of the child. So, this is the right age that they should be taken care of, particularly, by the parents. If they are not having their parents, they should be taken care of by the Government or the society. This is the period that they should be given proper care and proper guidance. We should think why a boy or a girl is becoming juvenile accused. We should think over that. It should be properly analysed. Here, I must say that if a drop of water from rain falls in the Ganges, it will become holy water. If it falls in the sewage water or drainage, it will become its nature. In the same way, if a child is from an economically strengthened family, there is no problem for that child. If he is from a family which is below poverty line, it will become his fate. Even in Delhi, when we see on the roadsides, on the signals, so many famale children, I must call them children because they look below 15 years, are holding a small baby with them and they are begging. Who is behind them? They don't know. So, we should

take care of them. They are from that poverty line. If they do not get any money, they will do any crime. So, the social imbalance is the reason behind the creation of such juvenile accused. Healthy environment, social values, etc., are all important in shaping up, moulding and characterising of the children. It must be very much essential in the society. They should not be frowned upon. We should not avoid those children. We should take care of such children in a proper way. In clause 7 (1) (a) juvenile police unit and designated police officers are given some duties. We have seen it in the law. Here I am having one suggestion that police officer should be a woman police officer. I am not blaming and accusing the male section. So, if that officer is a lady officer, she should call that accused and give proper guidance and care to that child. So, this is my suggestion. It the police are having a separate law, through this Act, the police people are giving some duties, if necessary, some amendment should be made in the Police Act also.

Another thing is we should think about the reformation homes. I am also having one suggestion here that the homes for such juveniles should be managed by the women beause if they are going into that home, they should come out as a proper children; they should not again come out as accused. That women caretaker will take care of those children. This is my humble suggestion. A good child or a bad child is not there in the hands of the child or ours; it is there in the hands of the society. Hence, such children should have the facility of proper education, vocational training, etc. When the children come out of it, they should have confidence to live in the society, manage the society, manage themselves, and should not depend upon anybody else. If they get any vocational training, they will be able to earn money for themselves. Also, at home, they should be moulded in a proper manner.

Sir, on child abuse and trafficking, I have seen this reported in newspapers and books that a small girl child has been abused and a group of children has been abused. In this area, I want to make one point. This type of crime is being done by gangsters. They pick girl child and do all these crimes. They also pick male children and give them 'ganja' and brown sugar to sell. They also give them proper training for pickpocketing. So we should see who is actually doing this crime and who is spoiling the society. They should be punished initially before these children are punished. We should know about their background.

Before these children are inquired, the gangsters, who are behind these crimes, should be punished immediately and severely by the law. No child has its own mind or heart to do the crime. It is the background which is responsible for this. Even family members sometimes for money send their children to do this. There are so many organisations and NGOs working in the society. We must send these organisations and NGOs to such areas where people belonging to the Below the Poverty Line live and tell them that this is a societal problem and they should send their children to school. Many States are providing free books; they are providing free education up to lower level in the school. We must create the awareness that education is a must and children should go to school. The persons involved in all these crimes should be punished severely.

Last point, Sir, and then I will conclude. If the children are trained as pickpocket, in future, they will become terrorist. Since childhood they are being trained to do such crimes. So, I request the Government and the hon. Minister that in the home also, they should be taken care of and the gangsters, who are involved in such crimes, should be punished severely. With these words, I once again, welcome this Bill. Thank you very much, Sir.

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार): उपसभापति महोदय, मैं पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं पेशे से वकील हूं और 32 साल मैंने प्रेक्टिस की है। मैं इस देश के महान नेता श्री लालू प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे साधारण आदमी को भी इस उच्च सदन में लाने का काम किया है। आज मैं जिस बिल के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, उसका व्यक्तिगत अनुभव मुझे भी रहा है। मैं जानता हूं कि किस तरह से बच्चों का शोषण होता है। कानून तो बनाए दिए जाते हैं, उनके लिए कानून होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कानून के ऊपर भी कानून होता है जिसका कोई पालन नहीं करता है। जो मजिस्ट्रेट जो जज इसमें मुकर्रर किए जाते हैं, वे कानून का पालन नहीं करते हैं, बल्कि अपने मन से कानून का विश्लेषण करते हैं।

मैं यह बताना चाहता हूं कि आईपीसी में एक धारा है जिसमें यह कहा जाता है कि सात वर्ष के नीचे अगर कोई लड़का अपराध करता है तो उसको उपराध नहीं माना जाएगा। Nothing is an offence which has been done below the age of seven years. कानून यह भी है कि 437 सी आर पी सी प्रोवाइजो में जो प्रोवीजन है, उसमें लिखा है कि 16 साल से कम

उम्र का, 16 साल तक का जो लड़का होगा, अगर वह अपराध करता है तो उसको जमानत दे दी जाएगी और फिर कानून बन गया — जुवेनाइल जस्टिस में। जब किसी बच्चे को पकड़कर लाया जाता है और वहां मजिस्ट्रेट के सामने प्रोडयूस किया जाता है, तब मजिस्ट्रेट साहब को यही पता नहीं रहता है कि यह जुवेनाइल है या नहीं। फिर उसको महीने-दो महीने तक जेल में रहना पड़ता है और एक वकील के द्वारा एक पेटिशन वहां देनी पड़ती है कि यह जुवेनाइल है। फिर उसकी इन्क्वायरी होती है और वह इन्क्वायरी तीन-चार महीने तक लगातार चलती है। और कभी-कभी तो 6-6 महीने लग जाते हैं। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि कानून तो आप बना देते हैं, लेकिन 6 महीने तक उसकी इन्क्वायरी होती रहती है। बाद में इतने दिन तक इन्क्वायरी होती है कि उसकी जो एज होती है - अगर उसकी एज 15 साल है, तो उससे बढ़कर साढ़े 15 साल हो जाती है, अगर 16 साल है तो वह बढ़कर साढ़े 16 साल, 17 साल हो जाती है 18 साल हो जाती है जिससे गड़बड़ हो जाती है और फिर उसकी इन्क्वायरी में यह होता है कि नहीं, यह 16 साल का नहीं है, यह तो साढ़े 16 साल का है या 17 साल का है या 18 साल का है। इस प्रकार यह बहुत डिसप्यूटिड मैटर हो जाता है। हमारी मंत्री महोदया जो बिल लायी हैं, वह बहुत अच्छा है। मैंने उनका भाषण सुना, बिल पर उनके कमेंट्स को भी मैंने सुना। मुझे लगा कि वे दिल से इस बिल को ला रही हैं लेकिन स्थिति विपरीत है। आप जाकर हमारी कोर्ट्स में देखिए कि उन बच्चों की क्या हालत है। जिन रिमांड होम्स के बारे में आप कहते हैं, उनको जाकर देखिए। वहां पर न तो उनके लिए सोने की व्यवस्था है, न उनको पढ़ाने की व्यवस्था है, न बच्चों के खेलने के लिए कोई व्यवस्था है, न ही उनके लिए कोई ऐसा पुस्तकालय है जिसमें उनको शिक्षा दी जा सके, न ही ऐसा कोई टीचर है, जिससे उनको कोई शिक्षा मुहैया की जा सके। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर आप जाकर देखिए - इसमें यह भी कानून बनना चाहिए। आपने कह दिया कि स्टेट को इसे फॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन आप जाकर देखिए। हमारे बिहार में आप जाकर देखिए, वहां बच्चे सिनेमा देखकर आते हैं और फिर अपने मन से रिमांड होम में चले जाते हैं। बच्चे क्रिमिनल लोगों से मिलकर आते हैं और फिर अपने मन से रिमांड होम में चले जाते हैं। आपने कह दिया कि सीजेएम को 6 महीने के भीतर रिमांड होम को देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, बहुत आदरपूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि स्थिति ऐसी नहीं है। वहां कोई देखने नहीं जाता है। वहां पर बच्चों के लिए बाथरूम की व्यवस्था ठीक से नहीं है, वहां पर सोने की व्यवस्था ठीक नहीं हैं, वहां पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। रिमांड होम्स की इतनी भयानक स्थिति है कि जो बच्चे वहां रहेंगे, उनके मन में केवल अपराध आएगा, दूसरा कुछ आ ही नहीं सकता हैं। मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसके बारे में भी जरूर विचार करिए। सरकार साहब ने और भाटिया जी ने कहा कि आज जो अपराध हो रहे हैं, वे 16 से 18 साल के बीच के बच्चों द्वारा किए जा रहे हैं। मंत्री महोदया से मैं यह कहना चाहूंगा

कि यह विचारणीय विषय है, बीस साल, पच्चीस साल पहले की स्थिति अब नहीं रह गयी है, बल्कि आज 16 से 18 साल के जो बच्चे हैं, वे लगातार ऐसे-ऐसे गंभीर अपराध करते हैं, जो कि 25 और 30 साल वाले भी नहीं करते हैं, आज उन्हीं को यूज किया जा रहा है। आपने कहा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जुवेनाइल माना जाएगा और जुवेनाइल माना जाना चाहिए, लेकिन आपको इस पर भी विचार करना होगा, सरकार को इस पर विचार करना होगा कि जो अपराध की संख्या बढ़ रही है, जो 16 साल से 18 साल के बच्चे बैंक डकैती कर रहे हैं, रेलवे में डकैती कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं और संगीन अपराध के मुदालय वहां बन रहे हैं। यह कैसी स्थिति हो गई है? यह बहुत ही गंभीर स्थिति हो गई है, इस पर भी विचार करना होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो संशोधन विधेयक यहां लाए हैं, यह बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें भी समावेश करना चाहिए और मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को अपने माध्यम से, क्योंकि आपने तो ऐनेक्टमेंट बना दिया, आप तो अमेंडमेंट ले आए, आपने तो कानून बना दिया, लेकिन कानून का पालन करने के लिए कौन खड़ा है? कानून का पालन करने के लिए आपने स्टेट को दे दिया, कानून का पालन करने के लिए आपने पुलिस अफसर को दे दिया, जिसको किसी तरह का ज्ञान नहीं है। सी॰जे॰एम॰ साहब को चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान है ही नहीं। पुलिस को चाइल्ड साइकोलॉजी का ज्ञान है ही नहीं। उनको क्या ज्ञान है? उनको कैसे ट्रीट करना पड़ेगा, कैसे रखना पड़ेगा, इसका ज्ञान नहीं है और आपने कहा है कि he should not be kept in a hazardous place.आपने बिल में कहा है, लेकिन उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था नहीं है। जो बच्चे पकड़े जाते हैं, रिमांड होम से पहले, जब वे बच्चे थाने में लाए जाते हैं, तो उनको पीटा जाता है, उनको रस्सी से बांधा जाता है, उनको पेड़ पर लटकाया जाता है और मार-पीट करके उनको मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया जाता है और मजिस्ट्रेट के सामने जब खड़ा किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि इनकी इनक्वायरी होगी। उस इनक्वायरी में कितना समय लगता है, मैंने आपको बताया है, इसलिए इस पर भी आपको विचार करना पड़ेगा। इस विचार को करते हुए, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार साहब ने जो कहा कि आप सरकार को स्टेट गवर्नमेंट को फंड मुहैया कराइए, फंड दीजिए और अगर नहीं हो, तो खुद से अपना इंस्टीट्यूशन चलाइए। मुझे याद है, बचपन में, हजारीबाग में एक रिफॉर्मेटरी स्कूल था। पता नहीं आपको उसके बारे में मालूम है या नहीं। करीब चालीस वर्ष पहले मैं उसको देखने गया था। हमारे घर में जो गार्जियन होते थे, वे कहते थे कि अगर बदमाशी करोगे तो इधर ही लाकर रख देंगे, लेकिन मुझको लगा कि वह अच्छा रिफॉर्मेटरी स्कूल था। मुझे ऐसा लगा, क्योंकि हर बच्चा वहां काम कर रहा था, हर बच्चा पढ़ रहा था, वहां लाइब्रेरी भी थी - इतना बढ़िया रिफॉर्मेटरी स्कूल था वह हजारीबाग में। बाहर के बच्चे - कर्नाटक के बच्चे, चेन्नई के बच्चे वहां ट्रेनिंग ले रहे थे। उपसभापति महोदय, मुझे पता नहीं कि वह रिफॉर्मेटरी स्कूल अभी है या सरकार ने उसको समाप्त कर दिया

है, मुझे पता नहीं, लेकिन इस तरह का रिफॉर्मेटरी स्कूल, इस तरह का बच्चों का ट्रेनिंग स्कूल जरूर खुलना चाहिए। अगर नहीं खुलेगा, तो फिर बच्चे का अपराध और बढ़ेगा। ''मर्ज बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की''। जितने ऐक्ट बनाएंगे, जितने कानून बनाएंगे, अगर उनका पालन आप ठीक से नहीं करेंगे, तो यह ज्यादा आगे बढ़ेगा। आपने पहली बार मेरा भाषण सुना है, इसके लिए आपको धन्यवाद, सबको प्यार और मुहब्बत।

MS. PRAMILA BOHIDAR (Orissa): Sir, I support the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2005. The crime rate by juveniles has been low in our country despite having a higher growth of population. The National Crime Bureau statistics suggests that the cases of children delinquencies against the total crimes have been almost constant for the last 12 years *vis-a-vis* population overgrowth.

The question that arises is why juveniles cannot be stopped at committing crimes in the first place. The socio-economic standard was reported to be responsible for children's becoming destitute, temperamentally weak and morally broken. The society needs to think proactively as to why some children become delinquents. It is by making people aware of the problems and also by investing more for prevention of juvenile crimes, we can make them young healthy citizens.

Much service will be done if policies are directed to ensure investments for prevention of juvenile crimes. To curb children from getting lured to crimes, the media must take the issues to the corridors of power, generate social awareness and take up the task of counselling.

There is a long wait for justice at the observation homes in our country. It was reported in a newspaper recently that a young boy, charged with a crime at the age of 16, was produced for trial when he was 32 years of age. Why did it take so long for the trial? This indicates the failure of the system. With over 3,050 pending cases before the Juvenile Justice Board at Kingsway Camp, Delhi, the whole purpose of the Juvenile Justice Act, which calls for a child-friendly approach in the disposal of matters, stands defeated.

With merely one Juvenile Justice Board to deal with cases from all the nine districts in Delhi, the trials extend up to many years. The work overload and the resultant pendency is taking its toll on juveniles, who end up spending the most crucial years of their lives waiting for justice

in observation homes. If this is the state of affairs in the national capital, one can imagine the situation prevailing in the entire country.

Though the existing law is amended, the authorities will still have a role to play, however minimal it may be. All the loopholes in the system should be effectively plugged and a new sense of awareness created. Only then will it ensure that the law is genuinely humane and that the observation homes do their job with the right kind of motivation such as imparting to children the emotional support that they need when faced with harsh realities at an early age. Thank you.

श्री विजय कुमार रूपाणी (गुजरात): माननीय उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपनी स्पीच में बताया है कि नेहरू जी का बच्चों के लिए प्रेम था और राजीव गांधी जी ने 18 साल के युवकों को वोटिंग का राइट दिया और यह सरकार बच्चों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। मुझे लगता है कि आजादी के इतने साल बाद हमारे यहां बच्चों की क्या स्थिति है, हमें यह भी देखना चाहिए। आज तीन करोड़ से भी ज्यादा बच्चे अपने घर के लोगों के जीवन निर्वाह के लिए, पैसे कमाने के लिए मजदूरी कर रहे हैं। जैसे रैग पिक्कर्स हैं, चाय की दुकान पर काम करने वाले बच्चे हैं, छोटी-छोटी इन्टरप्राइजेज में काम करते हैं, कई बच्चे, जो कमाते नहीं हैं, तो उनके घर का गुजारा नहीं चलता है, आज ऐसी स्थिति हो गई है। यह जो Juvenile Bill हमने एडोप्ट किया है, उसकी हिस्ट्री भी देखनी चाहिए कि हमारे यहां युनाइटेड नेशन्स जनरल एसेम्बली में 1989 में Convention हुआ था, हमने उसको एडोप्ट किया। उसके बाद हमारे यहां 1992 में भारत सरकार ने भी एडोप्ट किया और 1996 में युनाइटेड नेशन्स के Convention के आधार पर दि बिजिंग रूल्स-90 का हमने एडोप्शन किया है। यानी कि आजादी के 50 साल के बाद हमने juvenile की चिंता करने के लिए काम शुरू किया है। मुझे इस बारे में ज्यादा बातें नहीं कहनी हैं क्योंकि बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें बताई हैं, लेकिन हमें थोड़ी-बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट और बाकी कोर्टों ने बताया है कि Juvenile Act का काम आप जल्दी से करवाइए, इसलिए आज हम 2001 का अमेंडमेंट 2006 में कर रहे हैं, यानी हम बहुत पीछे हैं। इस एक्ट में हमें फिर से संशोधन करना पड़ेगा। हमारे मित्र ने अभी जो बात बताई, उसको हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जो फिगर्स हैं, उनमें बताया है कि जो कानून बना है, उसके बावजूद जितने भी गंभीर गुनाह हुए हैं जैसे रेप, मर्डर, ड्रग्ज़ की हेराफेरी, उसमें 16 साल, 17 साल, 18 साल के लड़कों का उपयोग किया गया है। उन लड़कों ने यह क्राइम किया है, जैसे दिल्ली में जो हुआ, "किलर" फिल्म के आधार पर जो हुआ, 16 साल के लड़के ने अपनी माता का भी मर्डर किया और बाकी लोगों का भी मर्डर किया। तो

intention of the accused, यानी आरोपियों की जो intention है, उसको देखने के बाद सज़ा मिलती है। चूंकि वह बच्चा है, इसलिए उसे सज़ा नहीं देनी है, ऐसी विचारधारा गलत हो जाएगी। 10 साल के बाद 16 साल किया, 16 साल के बाद आप 18 साल कर रहे हैं, 18 साल करने का जो हम संशोधन ला रहे हैं, दोबारा इस पर सोचना पड़ेगा।

उपसभापति जी, मेरे पास जो फिगर्स हैं, उनमें गुजरात में 2001 में जो 14 रेप केसेज हुए हैं, वे 16 साल, 17 साल, 18 साल के लड़कों ने किए हैं। 2002 में 22 रेप केस हुए हैं, 2003 में 31 रेप केस हुए हैं, 2004 में 29 रेप केस हुए हैं, 2005-2006 में 50 रेप केस हुए हैं, जो इन 16 से 18 साल के लड़कों ने किए हैं। इसके बाद 2001 में 27 मर्डर हुए हैं, 2002 में 39 मर्डर हुए हैं, 2003 में 47 मर्डर हुए हैं, 2005 में 53 मर्डर हुए हैं, 2005-06 में 77 मर्डर हुए हैं, जो इन 16, 17 और 18 साल के लड़कों ने किए हैं। जो ड्रग्ज़ की हेराफेरी होती है, उसमें वर्ष 2005 में 16 लड़के ड्रग्ज़ की हेराफेरी में पकड़े गए हैं। इसी तरह एक सर्वे में बताया गया है कि 2001 में मर्डर के केसेज में 271 बच्चे पकड़े गए थे। juvenile यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे पकड़े गए थे, 2001 के बाद यह संख्या बढ़कर 531 हो गई है। इसी तरह attempt to murder में 187 से लेकर यह संख्या 550 तक बढ़ गई है। और रेप के केसेज में यह संख्या 175 से लेकर 309 हो गई है। हम यह जो संशोधन कर रहे हैं, उसमें 18 साल उम्र करने की जो बात है, वह बड़ी खतरे की बात है। उनको जो जमानत तक नहीं मिलनी चाहिए। आप एक तरफ बता रही हैं कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 18 साल के बच्चों को right to voting दिया है और दूसरी ओर अगर 17-18 साल के लड़के रेप करेंगे, मर्डर करेंगे, तो उनको juvinile के आधार पर, यह कहकर कि यह बच्चा है, इसलिए इसे जमानत मिल जाए, इसको छोड़ दिया जाए, इसके खिलाफ कोई पुलिस कार्यवाही न हो, ऐसा संशोधन आने वाले दिनों में अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इन कामों में उनका उपयोग होता रहेगा। अगर उनका intention गलत है, तो अलग बात है, लेकिन अगर intention clear है, तो उनको पनिशमेंट होनी ही चाहिए, आम लोगों को जो पनिशमेंट मिलती है वह पनिशमेंट उनको होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। मैं ऐसा मानता हूं। दूसरी बात, इस संशोधन में बताया है कि prohibition of publication of name, etc., of juvenile involved in any proceeding under the Act. इस में जो 1 हजार रुपये था और 20 हजार रुपए किया है, मुझे पता नहीं कि इस का क्या अर्थ है? आज भी मीडिया छापता है तो उस में प्रकाशित करता है कि नाम, पता गलत लिखा है, लेकिन स्टोरी सही है। वही स्टोरी मीडिया में आती है। मीडिया उसे दूसरे तरीके से एक्सपोज करता है। फिर 21 का जो प्रावधान किया है, उस का मतलब क्या है, यह मुझे समझ नहीं आ रहा है? इसलिए उस पर भी सिर्फ क्रिया-कांड न हो बल्कि ठोस बात हो, उस का हमें विचार करना पड़ेगा।

दूसरे जूविनाइल बोर्ड में जो बच्चे आते हैं, उन के एडॉप्शन की बात बतायी गयी है। मैं मानता हूं कि जो लोग दत्तक लेते हैं, तो सिर्फ 5-6 साल के नीचे के बच्चों का ही एडॉप्सन बड़ी संख्या में होता है। एक 15 साल का लड़का जिस ने रेप किया है, 15 साल का लड़का जिस ने चोरी-चपाटी की है, उन का एडॉप्शन लोग कैसे करेंगे, यह सोचने की बात है, उस का मिस-यूज होगा। आज मैं अपने घर में सर्वेंट रखूंगा, उसे एडॉप्शन के नाम पर ले आऊंगा और उस से गलत काम करवाऊंगा, उस का शोषण करूंगा और बाकी काम करवाऊंगा तो इस एक्ट के तहत आप जो एडॉप्शन का लाभ देना चाहते हैं, उस का मतलब नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि उस का मिस-यूज होगा।

बाकी सारी बातें यहां हुई हैं, लेकिन जूविनाइल का जो अपना इंटेंशन है, उस पर आप गंभीरता से विचार करें। हम बच्चे को भगवान का अवतार कहते हैं। हमारे गुजरात में कहते हैं कि गरीब के बच्चे खिलौने से नहीं खेलते हैं उस के पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि खिलौने से खेल सके। तो उन के लिए तो संरक्षण की बात है, जो बच्चे बैगर्स हैं उन की संख्या में कमी हो और उन के संरक्षण की व्यवस्था करने के लिए जूविनाइल बोर्ड या कमेटी काम करती है, वह ठीक है। महोदय, हमारे एक्ट में दो तरीके की बात बतायी गयी हैं - एक वे बच्चे जो कानून के साथ संघर्ष करते हैं और दूसरे वे जिन्हें संरक्षण देना है। जो बच्चे छोटे-छोटे गैर-कानूनी कृत्य करते हैं - उन दोनों के लिए हमें अलग-अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, लेकिन जो कानून के साथ संघर्ष करते हैं और बड़े गंभीर गुनाह करते हैं, उन बच्चों को इस के तहत प्रोटेक्शन नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा मेरा सदन के माध्यम से आप को सुझाव है। मिनिस्ट्री को इस बारे में सोचना चाहिए और 15, 16, 17 या 16, 17, 18 साल के बच्चों को आप को बाकी बच्चों से अलग रखना चाहिए। साथ ही जूविनाइल बोर्ड या जूविनाइल होम्स में भी दोनों ग्रुप के बच्चों को अलग रखना चाहिए। ये बच्चे जिन्होंने रेप किया है अगर वे छोटे बच्चों के साथ रहेंगे तो वे भी खराब होंगे। इसलिए उन को अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। उन लोगों के लिए जेल में अलग ट्राइल की व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि मिनिस्ट्री इस संशोधन को स्वीकार कर इस बिल को पारित करे।

महोदय, यह बिल लेट आया है। मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और जूवेनाइल बच्चों की हिफाज़त करने के लिए प्रस्तुत इस बिल का भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोग समर्थन करते हैं। साथ ही सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह इस बिल के प्रावधानों के अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन के बारे में ध्यान रखें यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद।

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी (मध्य प्रदेश): शुक्रिया, सदरे मोहतरम।

बच्चों के साथ इंसाफ, उनकी देखभाल और उनके तहफ्फुज़ के सिलसिले में मोहतरमा वज़ीर साहिबा जो तरमीमी बिल लेकर आई हैं तथा उस पर पूरे हाऊस में जिन अच्छे खयालात का इज़हार किया गया है और जो अच्छे तथा बेहतर सुझाव दिए गए हैं, मैं उनके साथ अपने आपको बावस्ता करते हुए इस बिल की हिमायत में 2-4 लफ्ज़ कहना चाहता हूँ।

सर, बच्चे मुल्क का भविष्य होते हैं। देश का रौशन मुस्तक़बिल बच्चों की जवानी पर टिका हुआ होता है। बच्चे जुर्म क्यों करते हैं, मुजरिमाना हरकतों के साथ वे एक घिनौनी तारीख कैसे मुरत्तब करते हैं, बच्चे खुद करते हैं या बच्चों को कहीं से शह मिलती है, उसके पीछे कोई मुजरिम गिरोह होता है, इन तमाम-तर चीजों पर गौर करने की बेपनाह जरूरत है। मोहतरमा वजीर-ए-मौसूफ़ ने अपनी इफतताही तकरीर में इन तमाम-तर बातों को बहुत तफसील के साथ, बहुत खुश असलुबी के साथ पेश किया है। ये वे बच्चे हैं, जिन पर हिन्दुस्तान का मुस्तक़बिल टिका हुआ है। मुल्क में बच्चों की आबादी का तनासूब तकरीबन 32 फीसदी के करीब है। इसका मतलब यह हुआ कि हिन्दुस्तान में एक-तिहाई हिस्सा बच्चों पर निर्भर करता है और मुनहासिर है। जाहिर है कि मुल्क का एक-तिहाई हिस्सा अगर मुजरिमाना साज़िशों का शिकार हो जाता है, मैं उसे मुजरिमाना हरकतों की बात कहने से गुरेज़ कर रहा हूँ, सही मायनों में बचपन बहुत मासूम होता है। बच्चे को जो राह दिखलाई जाती है, बच्चा उस रास्ते पर चल पड़ता है।

अगर बच्चों को अच्छी सोसायटी, अच्छा घर-घराना, खाते-पीते लोगों के माहौल में परवरिश का मौका मिलता है, तो वे ही बच्चे अच्छा रिकॉर्ड कायम करते हैं, मुल्क का नाम रौशन करते हैं, माँ-बाप का नाम रौशन करते हैं, अपने सूबे, अपने मज़हब, अपनी क़ौम, अपनी मइशत का नाम रौशन करते हैं। मगर जो बच्चे बद्किस्मती से रोड पर या फुटपाथ पर पैदा होते हैं, जो बच्चे बद्किस्मती से झोपड़पट्टियों में पैदा होते हैं या जो बच्चे रोटी, कपड़ा और मकान से महरूम होकर अपनी जिन्दगी के दिन गुजारते हैं, ऐसे बच्चों के सामने कोई दिशा नहीं होती, ऐसे बच्चों के सामने कोई रौशन मुस्तक़बिल नहीं होता। वे बच्चे हालात के मारे हुए होते हैं और हालात की लहरों के हवाले होकर इधर-से-उधर और उधर-से-इधर हो जाया करते हैं। दरअसल ऐसे ही बच्चों पर इस बिल में और इस तरमीमी बिल में नज़र रखने पर ज़ोर दिया गया है। बिल बहुत खूबसूरत है, बहुत बेहतर है, मगर उन बच्चों की हिफाज़त के सिलसिले में, जैसा कि हमारे एक भाई अभी कह रहे थे कि 15 साल का या 16 साल का बच्चा जिन मुजरिमाना हरकतों से गुजरता है, यकीनन वे हरकतें बड़ी घिनौनी और मुजरिमाना हैं। उन बच्चों को सज़ा दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, उन बच्चों को 18 साल से कम के बच्चों में गिनना चाहिए या

बड़ों की तरह सज़ा का मुरतक़िब करार देना चाहिए, ये बातें भी बिल में आई हुई हैं।

मैं अर्ज़ यह करना चाहता हूँ कि बच्चों से भीख मंगवाई जा रही है, उसे हम देख रहे है। रोड पर जहाँ गाड़ी खड़ी होती है, बच्चे उस गाड़ी को पकड़कर खटखटाते हैं, उसे हम दिन-रात देख रहे हैं। बच्चों से बसों में चोरियाँ करवाई जा रही हैं, जेबें कटवाई जा रही हैं, वह भी हमारे समाज के सामने है। टी०वी० पर डाक्टरों के सिलसिले में एक खबर आई थी कि कुछ डाक्टर ऐसे हैं, जो बच्चों के हाथ-पैर तोड़ देते हैं और उन बच्चों को भीख मांगने का ज़रिया बनाते हैं।

सदरे मोहतरम, दरअसल फोड़ों का जो हम इलाज करना चाहते हैं, जिस्म पर जब भी फोड़ा निकलता है, तो डाक्टर एक टेबलेट देकर उसे सुखा देता है। अगर जिस्म के दाहिने हिस्से पर फोड़ा निकला और वह किसी दवा से सूख भी गया, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वह जिस्म के बाएं हिस्से पर नहीं निकलेगा। सीने पर अगर एक फोड़ा निकला है और हमने उसको सुखाने की कोशिश की, तो जरूरी नहीं है कि सीने का फोड़ा सूखने के बाद पीठ पर न निकल जाए। ये फोड़े अपनी जगह बदलते रहेंगे, दवाओं से कुछ नहीं होगा। जरूरत फोड़ों के इलाज की नहीं है, जरूरत उस खराब ब्लड के इलाज की है, उस खराब खून के इलाज की है, जिस खराब खून की वजह से ये फोड़े शरीर पर और जिस्म पर निकलते आ रहे हैं। दरअसल हमारे मुल्क में बहुत ही मुनज्जम साजिश के तौर पर इस मुल्क को कमजोर करने के लिए, इस मुल्क का चेहरा बिगाड़ने के लिए तरह-तरह की मनसूबाबंदियां हैं और तरह-तरह के मुजरिम गिरोह हैं, जो इस तरह से हमारे बच्चों का उज्ज्वल भविष्य भी बरबाद करते हैं। जब इन बच्चों के सिलसिले में पुलिस में बात आती है, ये बच्चे जब पुलिस के अंदर जाते हैं, जाहिर है कि उन्हें कानून अगर नहीं मालूम है और कानून का दुरूपयोग करते हैं, तो मुझे हैरत नहीं होती, मगर मुझे तो हैरत इस बात पर होती है कि पुलिस को जिस कानून के बारे में खूब मालूम है, उस कानून का वह बड़ी ही सीना-जोरी से, बड़ी ही दीदा-दिलेरी के साथ दुरूपयोग करती है। यह बात किसी से ढकी हुई, छुपी हुई नहीं है। जब बच्चों को, मां-बाप से मुजरिमाना जुर्म पुलिस कबूल नहीं करवा पाती, तो हमें ऐसे भी दृश्य देखने को मिलते हैं कि पांच साल के, छह साल के बच्चे के मुह पर जोरदार थप्पड़ पुलिस मारती है और कहती है कि हम उस वक्त तक इस बच्चे को मारते रहेंगे, जब तक तुम अपना जुर्म कबूल नहीं करोगे। ...**(व्यवधान)**... जी, मतलब यह कि—

एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी।
दर्द बेचारा परेशान है कि कहां से उठूं।

ऐसे आलम में मुझे ज्यादा कुछ लंबी-चौड़ी बात नहीं करनी है, सिर्फ मोहतरमा से अर्ज यह करना है कि जो कुछ भी कानून का नोक पलक दुरूस्त कर सकती हों, तो जरूर कीजिए। इंपलीमेंटेशन कैसे होगा, मुजरिम कैसे पकड़े जाएंगे, मुजरिमाना गिरोहों पर लगाम कैसे दी जाएगी और इस मामले में अब तक के हमारे पास जो कुछ भी पूरे रिकॉर्ड हैं, इनको सुधारने में हमें रास्ता कैसे मिलेगा, इस पर जरूर सोचने की जरूरत है।

आखिरी एक बात मैं यह कहना चाहूंगा कि गोद लेने की बात भी इस तरमीमी बिल में कही गई है। जरूर लेना चाहिए गोद, यह नेक काम है, अच्छा काम है। अगर पढ़े-लिखे लोग और मालदार लोग बच्चों को गोद लेकर के एक अच्छा हिंदुस्तानी और मुअज्जिज शहरी बनाते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मगर, इतिफाक और बदनसीबी की बात, सदरे मोहतरम, यह है कि इसे भी धंधे का एक जरिया बनाने का प्रयास किया जाता है। कुछ खबरें ऐसी पढ़ने को मिली हैं कि बड़ी-बड़ी एजेन्सियां बच्चों को गोद लेती हैं और गोद लेकर बाहर भेज देती हैं और बाहर के, दूसरे मुल्क के लोग हिंदुस्तान में कानूनी मजबूरियों के तहत जिस तरह से उसका फायदा नहीं उठा सकते, हमारी यह बैशाखियां बाहर के उन लोगों को हिंदुस्तान की कानून-शिकनी करके फायदा पहुंचाती हैं। बच्चे लिए जाते हैं गोद लेने के नाम पर, और बाहर बकायदा बच्चों की सप्लाई कर दी जाती है, बच्चे बेच दिए जाते हैं। इसलिए मैं यह अर्ज करना चाहूंगा, यह बिल बहुत ही वक्त से आया है, बहुत ही बेहतर बिल है, हम इसकी हिमायत करते हैं, साथ ही साथ कोशिश इस बात की जरूर कर लेनी चाहिए कि सही मायनों में इसका इंपलीमेंटेशन हो, सिर्फ यह कानून बनकर न रह जाए। इस कानून की धमक मुजरिमों को भी महसूस होनी चाहिए और पुलिस वालों को भी महसूस होनी चाहिए।

सर, वे बच्चे, जो होटलों में काम करते हैं, ढाबों में काम करते हैं, हम कहते हैं कि इनकी पढ़ाई-लिखाई जरूरी होनी चाहिए, इनका खान-पान अच्छा होना चाहिए। मैं पूछता हूं कि कौन पढ़ाएगा उनको? खान-पान कौन देगा? गवर्नमेंट कहती है कि हमारी जिम्मेदारी है। गर्वनमेंट की जिम्मेदारी का तो अहसास हमें इस मिनिस्टरी का बजट दे कर के हो जाता है। इस मिनिस्टरी के पास बजट के नाम पर, मैं समझता हूं, जीरो बट्टा सन्नाटा है बजट। अगर आप वाकई ईमानदारी के साथ, संजीदगी के साथ इन बच्चों की जिंदगी को अच्छी और बेहतर मुस्तक़बिल बातें देना चाहते हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा कि इस मिनिस्टरी के पास भरपूर बजट होना चाहिए ताकि रुपया-पैसा के अभाव में यह कहने का मौका न मिल सके कि काश, पैसे होते तो हम इस काम को कर ले गए होते। बहुत-बहुत शुक्रिया।

†مولانا عبیداللہ خان اعظمی "مدھیہ پردیش" : شکریہ، صدرمحترم۔ بچوں کے ساتھ انصاف، ان کی دیکھ بھال اور ان کے تحفظ کے سلسلے میں محترمہ وزیرصاحبہ جو ترمیمی بل لیکر آئی ہیں اور اس پر پورے ہاؤس میں جن اچھے خیالات کا اظہار کیا گیا ہے، جو اچھے اور بہتر سجھاؤ دئے گئے ہیں، میں ان کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ (وابستہ) کرتے ہوئے اس بل کی حمایت میں 2-4 لفظ کہنا چاہتا ہوں۔

سر، بچے ملک کا مستقبل ہوتے ہیں۔ دیش کا روشن مستقبل بچوں کی جوانی پر ٹکا ہوا ہوتا ہے۔ بچے جرم کیوں کرتے ہیں، مجرمانہ حرکتوں کے ساتھ وہ ایک گھنونی تاریخ کیسے مرتب کرتے ہیں، بچے خود کرتے ہیں یا بچوں کو کہیں سے شہ ملتی ہے، اس کے پیچھے کوئی مجرم گروہ ہوتا ہے، ان تمام ترچیزوں پر غور کرنے کی بے پناہ ضرورت ہے۔ محترمہ وزیرموصوفہ نے اپنی افتتاحی تقریر میں ان تمام ترباتوں کو بہت تفصیل کے ساتھ، بہت خوش اسلوبی کے ساتھ پیش کیا ہے۔

سر۔ یہ وہ بچے ہیں جن پر ہندستان کا مستقبل ٹکا ہوا ہے۔ ملک میں بچوں کی آبادی کا تناسب تقریباً ۳۲ فیصد کے قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تہائی حصہ ہندستان کے بچوں پر نظر کرتا ہے اور منحصر ہے۔ ظاہر ہے کہ ملک کا ایک تہائی حصہ اگر مجرمانہ سازشوں کا شکار ہو جاتا ہے، میں اسے مجرمانہ حرکتوں کی بات کہنے سے گریز کر رہا ہوں، صحیح معنوں میں بچپن بہت معصوم ہوتا ہے۔ بچے کو جو راہ دکھائی جاتی ہے، بچے اس راستے پر چل پڑتے ہیں۔ بچے کو اچھی سوسائٹی، اچھا گھر گھرانہ، کھاتے پیتے لوگوں کے ماحول میں اگر پرورش کا موقعہ ملتا ہے تو وہی بچے اچھا ریکارڈ قائم کرتے ہیں۔ ملک کا نام روشن کرتے ہیں، ماں باپ کا نام روشن کرتے ہیں۔ اپنے صوبے، اپنے مذہب، اپنی قوم، اپنی معیشت کا نام روشن کرتے ہیں۔ مگر جو بچے بدقسمتی سے روڈ پر یا فٹ پاتھ پر پیدا ہوتے ہیں، جو بچے بدقسمتی سے جھوپڑپٹی میں پیدا ہوتے ہیں، جو بچے روٹی کپڑا اور مکان سے محروم ہو کر اپنی زندگی کے دن گزارتے ہیں، ایسے بچوں کے سامنے کوئی دشا نہیں ہوتی، ایسے بچوں کے

†Transliteration of Urdu Script.

کا بھی کوئی روشن مستقبل نہیں ہوتا۔ وہ بچے حالات کے مارے ہوئے ہوتے ہیں اور حالات کی لہروں کے حوالے ادھر سے اُدھر اور اُدھر سے اِدھر ہو جایا کرتے ہیں۔ دراصل ایسے ہی بچوں پر اس بل میں اور اس ترمیمی بل میں نظر رکھنے پر زور دیا گیا ہے۔ بل بہت خوبصورت ہے، بہت بہتر ہے، مگر ان بچوں کی حفاظت کے سلسلے میں جیسا کہ ہمارے ایک بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ ۱۵ سال یا ۱۶ سال کا بچہ جن مجرمانہ حرکتوں سے گزرتا ہے، یقیناً وہ حرکتیں بڑی گھنونی اور مجرمانہ ہیں۔ ان بچوں کو سزا دی جانی چاہئے یا نہیں دی جانی چاہئے، ان بچوں کو ۱۸ سال سے کم کے بچوں میں گننا چاہئے یا بڑوں کی طرح سزا کا مرتکب قرار دینا چاہئے، بل میں یہ باتیں بھی آئی ہونگی ۔

میرا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں سے بھیک منگوائی جارہی ہے، اسے ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ روڈ پر جہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہے، بچے اس گاڑی کو پکڑ کر کھٹکھٹاتے ہیں، اسے ہم دن رات دیکھ رہے ہیں۔ بچوں سے بسوں میں چوریاں کروائی جارہی ہیں، جیبیں کٹوائی جارہی ہیں، وہ بھی ہمارے سماج کے سامنے ہیں۔ بچوں کو ان کے ہاتھ پیر توڑ کر، ٹی وی پر ڈاکٹروں کے سلسلے میں ایک خبر آئی تھی کہ کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں، جو ان کے ہاتھ پیر توڑ دیتے اور ان بچوں کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ دراصل، پھوڑوں کا تو ہم علاج کرنا چاہتے ہیں۔ عمدہ محترم، جسم پر جب بھی پھوڑا نکلتا ہے تو ڈاکٹر ایک لیبلیٹ دیکر اسے سمجھا دیتا ہے۔ اگر جسم کے داہنے حصے پر پھوڑا نکلا اور کسی دوا سے وہ سوکھ بھی گیا، تو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ جسم کے بائیں حصے پر نہیں نکلے گا۔ سینے پر اگر ایک پھوڑا نکلا اور ہم نے اس کو سکھانے کی کوشش کی تو ضروری نہیں ہے کہ سینے کا پھوڑا سوکھنے کے بعد پیٹھ پر نہ نکل جائے۔ یہ پھوڑے اپنی جگہ بدلتے رہیں گے، دواؤں سے کچھ نہیں ہوگا، ضرورت پھوڑوں کے علاج کی نہیں ہے، ضرورت اس خراب بلڈ کے علاج کی ہے، اس خراب خون کے علاج کی ہے جس خراب خون کی وجہ سے یہ پھوڑے شریر پر اور جسم پر نکلتے آرہے ہیں۔ دراصل ہمارے ملک کو بہت ہی منظم سازش کے طور پر اس ملک کو کمزور کرنے کے لئے، اس ملک کا چہرہ بگاڑنے کے لئے طرح طرح

کی منصوبہ بندیاں ہیں اور طرح طرح کے مجرم گروہ ہیں، جو اس طرح سے ہمارے بچوں کا اُجول بھوشیئے بھی برباد کرتے ہیں۔

جب ان بچوں کے سلسلے میں پولیس میں بات آتی ہے، یہ بچے جب پولیس کے اندر جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ انہیں قانون اگر نہیں معلوم ہے اور قانون کا درپیوگ کرتے ہیں، تو مجھے حیرت نہیں ہوتی، مجھے تو حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ پولیس کو جس قانون کے بارے میں خوب معلوم ہے، اس قانون کا وہ بڑی ہی سینہ زوری سے، بڑی ہی دیدہ دلیری کے ساتھ پولیس درپیوگ کرتی ہے۔ یہ کسی سے ڈھکی ہوئی، چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ جب بچوں کو، ماں باپ سے مجرمانہ جرم پولیس اگر قبول نہیں کرواپاتی، تو ہمیں ایسے بھی نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ پانچ سال کے، چھ سال کے بچے کے منھ پر زوردار تھپڑ پولیس مارتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم اس وقت تک اس بچے کو مارتے رہیں گے، جب تک تم اپنا جرم قبول نہیں کروگے.....مداخلت.....جی، مطلب یہ کہ ؎

ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی
درد بے چارہ پریشاں ہے کہ کہاں سے اٹھوں

سر، ایسے عالم میں، میں زیادہ کچھ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے، صرف محترمہ وزیر صاحبہ سے عرض یہ کرنا ہے کہ جو کچھ بھی قانون کی نوک پلک درست کرسکتی ہوں، ضرور کیجئے۔ امپلی میںٹیشن کیسے ہوگا، مجرم کیسے پکڑے جائیں گے اور مجرم گروہوں پر لگام کیسے دی جائے گی اور اس معاملے میں اب تک کے ہمارے پاس جو کچھ بھی پورے ریکارڈ ہیں، ان کو سدھارنے میں ہمیں راستہ کیسے ملے گا، اس پر ضرور سوچنے کی ضرورت ہے۔

ایک آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گود لینے کی بات بھی اس ترمیمی بل میں کہی گئی ہے۔ ضرور لینا چاہئے گود، یہ نیک کام ہے، اچھا کام ہے۔ اگر پڑھے لکھے لوگ اور مالدار لوگ بچوں کو گود لے کر کے ایک اچھا ہندوستانی اور معزز شہری بناتے ہیں، تو اس سے اچھی بات کیا ہوسکتی ہے؟ مگر،

اتفاق اور بدنصیبی کی بات، صدر محترم، یہ ہے کہ اسے بھی دھندے کا ایک ذریعہ بنانے کا پریاس کیا جاتا ہے۔ کچھ خبریں ایسی پڑھنے کو ملتی ہیں کہ بڑی بڑی ایجنسیاں بچوں کو گود لیتی ہیں اور گود لے کر باہر بھیج دیتی ہیں اور باہر کے، دوسرے ملک کے لوگ ہندوستان میں قانونی مجبوریوں کے تحت جس طرح سے اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، ہماری یہ بیسا کھیاں باہر کے ان لوگوں کو ہندوستان کی قانون شکنی کر کے فائدہ پہنچاتی ہیں۔ بچے لئے جاتے ہیں، گود لینے کے نام پر، اور باہر باقاعدہ بچوں کی سپلائی کر دی جاتی ہے، بچے بیچ دئے جاتے ہیں۔ اس لئے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ بل بہت ہی وقت سے آیا ہے، بہت ہی بہتر بل ہے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کوشش اس بات کی ضرور کر لینی چاہئے کہ صحیح معنوں میں اس کا امپلی مینٹیشن ہو، صرف یہ قانون بن کر نہ رہ جائے۔ اس قانون کی دھمک مجرموں کو بھی محسوس ہونی چاہئے اور پولیس والوں کو بھی محسوس ہونی چاہئے۔

سر، وہ بچے، جو ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں، ڈھابوں میں کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان کی پڑھائی لکھائی ضرور ہونی چاہئے، ان کا کھان پان اچھا ہونا چاہئے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کون پڑھائے گا ان کو؟ کھان پان کون دے گا؟ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ گورنمنٹ کی ذمہ داری کا احساس تو ہمیں اس منسٹری کا بجٹ دیکھ کر کے ہو جاتا ہے۔ اس منسٹری کے پاس بجٹ کے نام پر، میں سمجھتا ہوں، زیرو بڑا سناٹا ہے بجٹ۔ اگر واقعی ایمانداری کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ ان بچوں کی زندگی کو اچھی اور بہتر مستقبل کی [illegible] دینا چاہتے ہیں، تو میں گزارش کروں گا کہ اس منسٹری کے پاس بھرپور بجٹ ہونا چاہئے تاکہ روپیہ پیسہ کے ابھاؤ میں یہ کہنے کا موقع نہ مل سکے کہ کاش، پیسے ہوتے تو ہم اس کام کو کر لے گئے ہوتے۔ بہت بہت شکریہ۔

†Transliteration of Urdu Script.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, first of all, I rise to thank all the hon. Members who have taken so much interest and have enriched us by their observations. It also shows us their commitment and to what depth they have analysed some of the issues. This has been really of invaluable help to me. It will also guide us in the future when we think of making some amendments.

Now, overall, we have tried to be as comprehensive as possible and taken into consideration all the various lacunas and the dichotomy that were there because of the earlier Bills. Sir, I would like to clarify some of the issues to all of you so that we are all addressing the issues collectively. The Special Homes under the J.J. Act are being reviewed to improve their functioning so that we can have a much more speedy response as Maya Singhji had asked us. As regards the police not knowing that, this is the truth that all of us know that there are legislations and legislations but quite often police are not sensitising themselves. I am very happy to tell you all and to share with you all that I had a meeting with the Home Minister and at his level it has been decided that we will work in partnership. They will come forward in helping us to spread this message to the police.

I have asked for materials such as CDs and all, which we can personally get them shown at the district levels and I would definitely be leaning on the support of all the Members here who can then please use your office and influence in the local areas to familiarise the police on the J.J. Amendment Act and we will be able to give you all, some CDs, some of them, so that we could show them around and familiarise the police. I had also written to the Home Minister much before we brought in the amendments to the Act that there should be, at least, 33 per cent more women in the police recruitment itself. We have a pathetic, I think, three to four per cent or six per cent at best. Even for us to implement the basic IPC sections we do not have enough women. So, as a familiarisation and a feminisation of the police force I have asked for 33 per cent; and I am optimstic that the Home Minister will be able to respond on a positive note. Lot of anxiety has been shown and rightly so, about the status of children who are going to be given into guardianship, foster homes, adoption, how people can use or misuse these children. Through this Act and amendment, we are going to bring in very stringent norms by which people qualify for taking these children

4.00 P.M.

home under any of these heads for adoption. So, the built-in safeguards that will be there will go to a large extent to check that. But as you know, human behaviour is very, very elastic so it would be wise for all of us to be warned and to look into seeing what we can do. Now, the condition of the homes, I agree with most of you, there is nothing to write about. They are nightmare centres. I totally appreciate that. But we have been putting checks into these systems; and also I would invite anyone of you to go and look at the homes in your constituencies and please tell me, I will respond whether they are up to the mark or not. At least if the authorities of homes know that people are going to come and check, then, they themselves will improve. They will become self-regulatory; and otherwise, we will take stringent measures and put them in a better position. The State Governments, the UT administrations, they all have to now suitably improve and upgrade the homes as required. This is one our mandatory exercises that we are putting through. Then, we have conducted some of the surveys in these observations homes a few weeks back. There is a complaint that we should not keep juveniles in these homes for more than three years, for a long period. We have tried to see that we minimise the time because, as we all know, it is not very conducive for a child to bathe himself or improve his behaviour in hostile environment. As adults we don't. We fight in Parliament, don't we? So, why do we expect extraordinary obedience from the children? In order to be sensitive to that we have been looking into these homes and how best we can streamline them and we encourage them to have interactions. Sometimes, during the surveys which are carried out, the juveniles are hostile and more often violent, both with the staff of the home as well as with other inmates. So, it may not be advisable to keep them collectively, in the hope, that they interact. We have to see it in a case-to-case study and see what best we can do. Otherwise, these children get into the crime section very often. Ms. Sushilaji had spoken about rural areas. You had asked us a question that 24 hours time limit cannot be adhered to. Now, the juveniles shall be produced before the board within 24 hours, excluding the time of journey. We are not adding the journey time, obviously. But within 24 hours, so that there is no mischief played at the other end as we all know, that it is capable of. A lot of people talked about adoption to foreigners. Now, before we give the children abroad, I don't want to rule out that we should not give our children abroad because India has only placed about

3000 children. All over this country none of us has a big heart enough to adopt a child and give a child a chance to life. But, these children are taken abroad. In other countries, they have placed 20,000 of their children in adoptive homes all across the world. Now, if they can do it, I don't see why we cannot do it. So, the idea is to encourage in-house adoption first. And, if they are not placed in in-country adoption, then we place them in inter-country adoption. We do this so that they can also be given a chance. And, it is unfair for us to be prejudiced that anyone from outside who comes to adopt is only coming to adopt to exploit. That is also not fair. Human behaviour remains the same across the world anywhere and, under given circumstance, on an average, they will react in the same way. The awareness is important. How to increase this kind of awareness? We are going to be using the youth to involve in a lot of ways. We are going to launch a national campaign to inform various segments of our society and authorities as to what we are planning to achieve and what we mean in different aspects of Ministerial effort of ours.

Now, with compulsory and free education, vocational training and positive images to be publicised by media, etc., we have been pressurising the media also to take that into consideration. As all of you have appreciated, we have slapped a Rs. 25,000 fine if, by wittingly or unwittingly, they show a child to the public and make a public *tamasha* of this. Now, we are trying to reduce crime. And, poverty is one of the prime causes. The dysfunctional families are also one of the reasons for crime. We are promoting the Self-Help Groups. The women who have as Self-Help Group will have a lateral integration with these juveniles so that there will be integration between the two and they will be balanced out.

Sir, under the ICDS, Creches are being expanded. I am a little surprised that a very few Members of Parliament have come forward to ask for Creches in their respective constituencies which is a huge developmental measure. We have shown that wherever there is ICDS, children do exceptionally well in their school life and little delinquency is reported on an average.

Then, we have also written to the Ministry of Law to harmonise the definition of child's age in all Acts. अब कन्फ्यूज़न तो यहीं से शुरू हो जाती है कि

कहीं हम 18 साल कहते हैं, कहीं 14 साल कहते हैं और कहीं कुछ और कहते हैं और इन्हें लागू भी करते रहते हैं। इसी डैफिनिशन के कारण ही कई बार हमें कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़ते हैं। इसलिए हमने यह कहा कि इस देश में हम एक ही उम्र को लेकर फैसला करें कि इस उम्र से नीचे के जो बच्चे हैं, उन्हें यह माना जाएगा और इस उम्र से ऊपर के जो बच्चे होंगे, उन्हें वह माना जाएगा So, in all special Acts such as Juvenile Justice Act, Immoral Traffic (Prevention) Act, Child Marriage Act, we have placed the age as 18. 18 साल को लागू करना ही हमारे लिए बेहतर है This is in keeping with the international norms. The psychologists, physiologists and anatomists will also tell you that the child's brain, physiological and psychological development is not complete till they reach approximately the age of 18 years. Of Course, there are exceptions who show undue maturity before and after. That elasticity we leave for the local judgment. A lot of people have asked, अभी आपने पूछा था कि लोकल एथॉरिटी को हमने क्यों छोड़ दिया है, हमने लोकल एथॉरिटी को इसीलिए छोड़ा है क्योंकि अलग-अलग नियमों को मानते हुए, वे वहां पहुंच जाते हैं, मगर they are not experts or specialists in this matter. आजकल महिलाओं को यह कहते हुए जला दिया ज़ाता है कि यह औरत जादू-टोना करती है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोगों को पावर दे दें तो कई बार सुपरस्टिशन्स, कल्चरल डाइकॉटोमीज़ इत्यादि की वजह से unwittingly they may hurt a child. इसीलिए हमने लोकल एथॉरिटीज़ को इस बिल के कायदे से बाहर रखा है। And, then, we said that specialised child care people are really the rightful people who should be able to guide the proceedings. और इसीलिए हमने उनको उतना महत्व नहीं दिया, जितना आप चाह रहे थे। And, the competent authorities have been given the due responsibility. मगर मैं मानती हूं कि सेंट्रल आथॉरिटी should be there to monitor and control the activities of these *Shishu Vihars*. यह तो भयंकर स्थिति है यह मैं मानती हूं और अब शिशु गृह तो हमने सारे देश में यूनिवर्सलाइज किया है। These are registered and recognised by CARA, which is our adoption authority. And for in-country or inter-country adoption there is a monitoring device, through CARA, which we are now trying to activate and make sure that it runs in a much more smoother way.

Now, there are child protection units being set up or taken up in relationship to children in need of care and protection, including maintenance of homes. This monitoring of homes is inbuilt into the system when we have said that this is what is defined under child

protection. कुछ लोगों को कुछ शक है, तो जनरलाइज-वे में मैं आपको यह बतलाना चाह रही हूं the facilities provided to juveniles in juvenile and observaion homes, एक तो बॉयज एंड गर्ल्स को हम अलग-अलग रखते हैं, यह नहीं कि वे मिलजुल कर वहां रहते हैं। दूसरी बात यह है कि हमने कहा है कि इन स्कूल्स में, इन होम्स में हम बच्चों को उम्र के साथ अलग-अलग केटेगरी में रखेंगे। छः से दस साल तक अलग, दस से चौदह साल तक अलग और चौदह से अठारह साल तक इनको अलग-अलग ग्रुप्स में हम मेन्टेन करते हैं और प्रोपर लाइटिंग, वाटर एंड सेनिटेशन यह तो हम कहते हैं मगर यह कितना लागू होती है यह तो आप भी जानते हैं। मगर मैं आपको बताना चाह रही हूं कि पूरी जिम्मेदारी से कि न मैं सोऊंगी और न दूसरे लोगों को सोने दूंगी। तो चलेंगे हमारे साथ, इसमें मैं आप सब की सहायता भी चाह रही हूं खास तौर से आप जैसे लोग जिनके पास अखबार भी है, प्लीज आप हमारी मदद कीजिए, यह एक ऐसा सब्जेक्ट हैं जिसमें कोई राजनीति नहीं आती है। We should all contribute and work towards this.और अगर मेरी शिकायतें यहां आएंगी तो फिर आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं तो वेरी स्ट्रिक्टली, यह हम करेंगे। और न्यूट्रीशियस फूड, खाना-पीना यह सब हम कहते हैं खैर, यह आप भी जानते हैं। इसको लागू करने में कुछ अलग होता है, कानून बनाने में अलग होते हैं but you will see the results. एक डेढ़ साल में आपको फर्क मालूम होगा, आप देख लेंगे। क्योंकि सारे देश में फर्क आनी चाहिए, एक जगह पर नहीं। जो पेंडेंसी ऑफ केसेज होते हैं, कई बार क्या होता है - लोकल अथॉरिटी को मिलते नहीं हैं उनके नाम, एड्रेस और पता तथा उनके मां-बाप को ढूंढ निकालने तक हमारे पास टाइम लग जाता है उसकी वजह से कई बार डिले हो जाता है। It has also been found that कई बार लोग क्या करते हैं कि बड़े लोग क्राइम कमिट करके छोटे पर थोप देते हैं ताकि बच्चा मुल्जिम माना जाएगा और फिर उसके लिए सेन्टेंस लाइट हो जाती है। तो यह बातचीत करके बच्चों को डराकर जो भी है करके they try to put that ...*(Interruptions)*...

श्री नंदी येल्लैया (आन्ध्र प्रदेश): आप मुझे बताइए कि बड़े लोग क्राइम करके बच्चों को दोष देते हैं। तो वे कैसे करते हैं तथा उनकी क्या टेक्नीक है?

श्रीमती रेणुका चौधरी : क्योंकि आप बड़े हैं इसलिए मैं आपको तरीका नहीं बताऊंगी, बच्चों को मैं समझा दूंगी कि ऐसी बातों में मत आना। ऑथर आप बड़े लोग हैं इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगी।...(व्यवधान)

कई बार ऐसे डेलिब्रेट आप्शंस ऑफ विटनेसेज भी होते हैं और a lot of children who are in conflict with law, come at the same time तो कई बार इसमें भी कुछ डिले

हो जाती है और कई बार चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट छुट्टी ले लेते हैं। तो इसमें भी हमारी जुविनाइल जस्टिस बोर्ड पर हमें टाइटन करके इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वैसे और कुछ कहना है तो बहुत कुछ कहना है -- भाईयो और बहनों, मगर जो आपने वेल्यूबल सजेशन दिया है we are definitely taking cognisance of them. और भविष्य में मैं यह सपना देख रही हूं और मैं यह सोचती हूं कि इस मेरे सपने में आप भी जुड़ जाएंगे। जब हम कहते हैं कि - सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा, हम बुलेबुले हैं इसके यह गुलिस्तां हमारा, जब हम कहते हैं तो उसमें हमारे देश के बच्चों को भी जोड़कर आगे ले जाएंगे। Thank you all very much. Sir, I request that the Bill be passed.

श्रीमती माया सिंह: महोदया, यह जो आपने बात कही है कि चाइल्ड लाइन सेवा जो पुलिस के द्वारा शुरू की है, तो मजबूरी के कारण बच्चे उसका लाभ ही नहीं ले पाते हैं। और एक बात आपने पेज नम्बर-4 में लाईन 7 और 9 में देखें कि Statement of Objects and Reasons में लिखा है कि हम क्यों इस बिल को ला रहे हैं, उसका क्या प्रावधान हम करना चाहते हैं, इसमें बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा जो स्पेशल स्कूल खोलने की बात की है तो क्या उसके बारे में आप यहां पर थोड़ा-सा बतायेंगी?

श्रीमती रेणुका चौधरी : उपसभापति महोदय, लार्जली मैं चाहती हूं कि special school and all should come within the purview of private-public partnership. और इसमें कई लोगों के जुड़ने से और एनजीओज़ का बहुत असर इस पर पड़ता है। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती माया सिंह: क्या ये जो स्कूल हैं, ये उन बच्चों के लिए होंगे, जो किसी न किसी कारण से कोई अपराध कर बैठते हैं या जिस दौरान वे बाल सुधार गृह में होते हैं, तो उस दौरान उनकी शिक्षा वगैरह भी प्रभावित होती है। क्या ऐसे बच्चों के लिए स्कूल खोलने की आपने बात कही है?

श्रीमती रेणुका चौधरी: नहीं, वैसे ही नहीं, हम चाहते हैं, basically we are trying to integrate the children back into the mainstream. तो इनको ब्रिज स्कूल्स माना जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश के नालगौंडा डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे, वहां का लोकल एस॰पी॰ बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। I invite all the Members of Parliament that आप एक मॉडल को देखने के नाते नालगौंडा डिस्ट्रिक्ट में आइये। आप वहां पर आकर देखिएगा। *(Interruptions)*... Yes, definitely, I would be happy to lead a team of Members of Parliament who are interested, हम वहां ले जायेंगे।

सुश्री मैबल रिबैलो (झारखंड): मंत्री महोदया, क्या आप हम सब को लेकर नालगौंडा जाऐंगीं?

श्रीमती रेणुका चौधरी: हां, ले जायेंगे।

सुश्री मैबल रिबैलो: ठीक है। आपका धन्यवाद।

श्री हरीश रावत (उत्तरांचल): मैडम, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि हर चौराहे पर, चाहे किसी बड़े शहर में चले जाइये, बच्चे भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं, उनमें से कुछ वास्तव में गरीब घरों के बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों से संगठित गिरोह भीख मंगवाने का काम करते हैं। जो संगठित गिरोह इस दिशा में काम कर रहे हैं, उनको इलेमिनेट करने की दिशा में आप क्या गृह मंत्रालय से, राज्य सरकारों से बातचीत करके कोई कदम उठायेंगी?

श्रीमती रेणुका चौधरी: सर, हम कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम पहले एक्ट में चाइल्ड बेगर्स को लाये थे, जो पहले इससे बाहर रह गये थे। वे चाहे किसी के भी बच्चे हों, आज के दिन हम यह डिफाइन करके चाइल्ड बेगर्स को कानून में ले आये हैं। आगे से हम कदम उठाने की कोशिश करेंगे कि इन बच्चों को सड़क से तो हटा दें। चौराहों पर मां-बाप बैठकर देखते रहते हैं, इसमें बच्चों का कसूर नहीं है, वह बड़ों का है। ...(**व्यवधान**)...

श्री हरीश रावत: मैडम, कुछ गैंग भी इसको आपरेट करते हैं?

[THE VICE -CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN) in the Chair]

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY : Yes, it is an organised crime.

SHRI MOINUL HASSAN (West Bengal): Madam, I have an inquiry that is in page no. 2, section 4. The meaning of 'adoption' is defined here. As for the other part of the Bill, that is section 21 on page 5, the earlier provision and the present provision in the Bill provide guidelines in respect of adoption. May I know from the hon. Minister that adoption is irrespective of all religions?

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Under the amendment of this Act, the Juvenile Justice Act, you will be able to adopt across the country, and across any religion. Earlier, we had only the Hindu Law of Adoption. This is to universalise and streamline the adoption process, and also in keeping with our Constitution that we are a secular nation. We have given this provision so that anybody can now adopt any child.

SHRI MOINUL HASSAN: Religion will not be the bar.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Certainly not.

SHRI MOINUL HASSAN: A person belonging to any religion can adopt a child belonging to any religion.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Absolutely. If your religion permits you, you can adopt.

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Madam, suppose I want to adopt a child. Will there be a proper authority so that adoption is not only legalised, there is also no harassment to the adopted child later on. That is number one. Secondly, I understand after having attained the age of 30 years, or, 40 years, you can't adopt a child, say, a new-born child. There are a number of cases where 40 or 50 year-old people are capable of adopting a child. Since they are barred, they use illegal methods. I know a number of cases. So, will you do something about it?

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Yes, of course; you are absolutely right that there was an outer age limit kept for the adoptive parents, believing that, at that time, the longevity of life was shorter for an Indian citizen, and that if something happens to them, then, the child will be left helpless again. So, keeping that in view, as a very good idea, they had done it. But you are absolutely right that, today, with better nutritional levels, more awareness, more money, and people having different systems of life, they are, perfectly, capable of adopting children even at an older age. But we will have to take the consent of this House before I make that amendment. But you are, absolutely, right. I will look into that.

SHRI MATILAL SARKAR: Sir, I had sought a clarification but the hon. Minister in her intervention did not reply to that. My query was regarding the funds. After this Bill comes into force, there will be so many Juvenile Justice Boards, there will be so many CWCs for all the six hundred-odd districts that we are having. Now the question is, who will bear the burden of the management expenses of these bodies, *i.e.*, juvenile bodies, child welfare committees and allied matters? Who will bear the burden? It would not be possible for the States to bear this burden. I raised that point, but the hon. Minister did not reply.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: I will reply to you.

SHRI PRASANTA CHATTERJEE (West Bengal) : Madam, you are aware that there are women prisoners in jail. There is a provision that up to a certain age, the children of the women prisoners are supposed to stay with their mothers in jail. As per my information, the situation is very worse there. Beyond that age— perhaps, it is up to the age of six years that these children can stay with their mothers—can the Minister say what will be the fate of those children whose mothers are in prison, in jail? That is my query.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: When the child is born and is biologically dependent on the mother for breast-feeding, etc., we encourage that the mother keeps the child with her. By the age of six, the children are very much within their formative years, and it is important that they get out of the jail atmosphere. The mothers may be serving the sentence, but it is important that the children learn to have a holistic integration into the normal society life because they should not grow up 'sentenced to jail' for no crime of theirs. So, this is basically giving them an opportunity to get out of the jail atmosphere till the mother serves her sentence and go to school and take the other benefits which the Government extends.

MS. MABEL REBELLO: Sir, the mechanism which various agencies adopt for giving child in adoption to the parents is quite difficult, and the people who adopt the children do not know this mechanism. I would request the Minister for two things. One is to simply this mechanism, the legal formalities and all that, and, secondly, after adoption, there should be continuous follow up, at least, for two to three years because the agency should have some sort of liaison with the adoptive parents of the children and go on interacting with them so that the child is properly placed in that home. Otherwise, Sir there can be problems, both for the child and for the parents. I would request the hon. Minister to take this into consideration.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Thank you, Mabelji for making this suggestion. But the fact is that the Juvenile Justice Act's amendment on adoption has been brought about precisely for that reason to be able to simplify it and to make it a much more universal and acceptable form of adoption that we are now offering today. I am very happy to share with you all that the minute I became the Minister, there have been at least fourteen parents who had come and adopted children who I know, and the happiest story about that is, all of them wanted only a

3126RS—22

girl child. They wanted a daughter in adoption. So, I think for that one reason, at least, we should be facilitating adoption, and I also want to make an offer that if any one of you wants to adopt me, I am willing. Please take.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I am sure, nobody wants to adopt a liability. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: See, this is what they say about the girl child. If I were a boy, he would't have said that.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Daughters give more love to their parents.

SHRI MOINUL HASSAN: Madam, I would like to inform you, I am an adoptive father. I have adopted a girl child.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: How nice! Congratulations and may you have many years of happiness, many years. ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): The questions is:

"That the Bill to amend the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

The VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): We shall not take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 *to* 26 *were added to the Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Sir, I move:

"*That the Bill be passed.*"

The question was put and the motion was adopted.

श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया (झारखंड): कल राखी है, हाउस को adjourn करिऐ। ...(*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): The House stands adjourned to meet on the morning of 10th August 2006 at 11.00 a.m.

The House then adjourned at twenty-seven minutes past four of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 10th of August, 2006.

MGIPMRND—3126RS—01-02-2007.